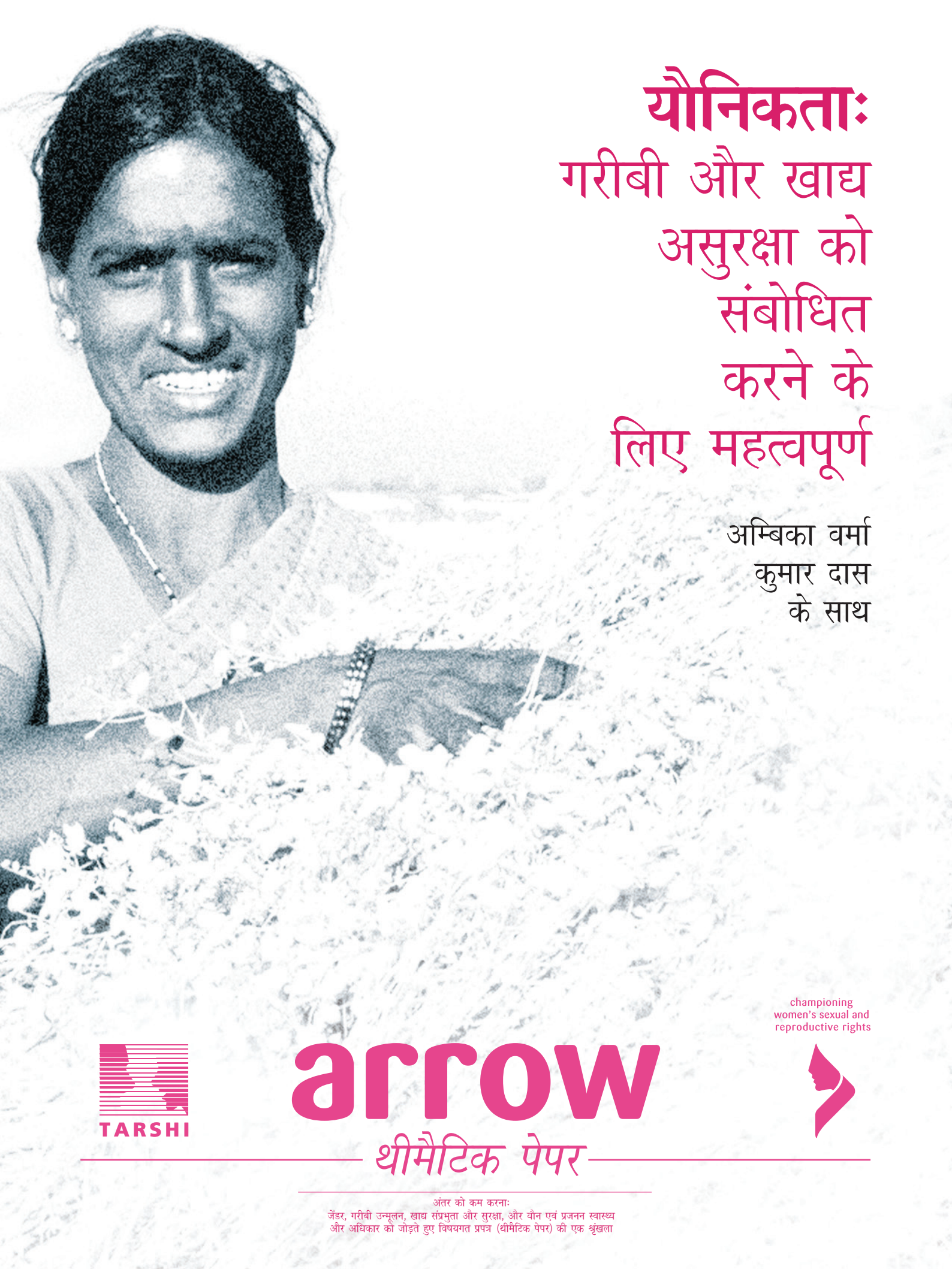




# यौनिकता: गरीबी और खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण

अम्बिका वर्मा  
कुमार दास  
के साथ



## arrow

थीमैटिक पेपर

championing  
women's sexual and  
reproductive rights



अंतर को कम करना:

जेंडर, गरीबी उन्मूलन, खाद्य संप्रभुता और सुरक्षा, और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य  
और अधिकार को जोड़ते हुए विषयगत प्रपत्र (थीमैटिक पेपर) की एक शृंखला

**यौनिकता: गरीबी और खाद्य असुरक्षा  
को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण  
अम्बिका वर्मा द्वारा लिखित, कुमार दास के साथ**

अंतर को कम करना : जेंडर, गरीबी उन्मूलन, खाद्य संप्रभुता और सुरक्षा,  
और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार को जोड़ते हुए विषयगत  
प्रपत्र (थीमैटिक पेपर) की एक शृंखला

आई एस बी एन: 978-967-0339-26-9



**एशियन-पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन (एरो)**

इस काम को क्रिएटिव कॉमन्स ऐट्रिब्यूशन-नॉन-कमर्शल 4.0 के इंटरनेशनल लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। इस लाइसेंस की प्रतिलिपि को देखने के लिए वेबसाइट <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> पर जाएँ। इस्तेमाल की गई छवियों का कॉपीराइट संबंधित कॉपीराइट धारकों से सम्बद्ध है। किसी भी प्रकार की प्रति, पुनरुत्पत्ति, रूपांतर, और अनुवाद के सभी रूपों - मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से - में एरो को स्रोत के रूप में आभार दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की पुनरुत्पत्ति, रूपांतर और अनुवाद की एक प्रति एरो को भेजी जानी जरूरी है। किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग के लिए एरो से अनुमति ली जानी आवश्यक है। अनुमति लेने के लिए [arrow@arrow.org.my](mailto:arrow@arrow.org.my) पर संपर्क करें।

#### **निर्माण मंडली:**

लेखक: अम्बिका वर्मा के साथ कुमार दास

परियोजना प्रबंधक और संपादक: मारिया मेलिंडा (मालिन) एंडो

प्रबंध संपादक: अम्बिका वर्मा

अनुकृति संपादक: सीज़र रेपुयन टिनो

संशोधित ड्राफ्ट के समीक्षक: अर्पिता दास, मारिया मेलिंडा एंडो, सिवान्थी थानैथिरण और स्टेला मार्केज़

पहले ड्राफ्ट के समीक्षक: प्रभा नागराजा और रंजनी के. मूर्थी

अनुवादक: तारशी

हिंदी ड्राफ्ट के समीक्षक: परोमा साधना

लेआउट और ग्राफ़िक डिज़ाइन: निकोलेट मलारी

कवर फोटो क्रेडिट: आईसीआरआईएसएटी। (2008)। चिकपी हार्वेस्ट, इंडिया [www.flickr.com/photos/icrisat/6119487792](http://www.flickr.com/photos/icrisat/6119487792) से लिया गया

वर्मा, ए. के साथ, दास, के. (2015)। *यौनिकता: गरीबी और खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण*। अंतर को कम करना : जेंडर, गरीबी उन्मूलन, खाद्य संप्रभुता और सुरक्षा, और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार को जोड़ते हुए विषयगत प्रपत्र (थीमैटिक पेपर) की एक शृंखला। कुआला लंपुर: एशियन-पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन (एरो)।

## **विषय-सूची**

- 01** प्रस्तावना
- 03** गरीबी को बहुआयामी अभाव के रूप में समझना
- 03** खाद्य सुरक्षा व खाद्य संप्रभुता को समझना
- 05** यौनिकता को समझना
- 07** यौनिकता: गरीबी, खाद्य संप्रभुता, और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों की तलाश
- 07** शिक्षा तक पहुँच में बाधाएँ
- 14** स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ
- 15** भौतिक संसाधनों तक पहुँच में बाधाएँ
- 17** अन्य बाधाएँ
- 18** एसआरएचआर और विकास के संवादों में “यौनिकता” को फिर से शामिल करना
- 19** आगे की राह
- 22** निष्कर्ष
- 23** संदर्भ



## **बॉक्स, चित्र और तालिकाओं की सूची**

- 06** बॉक्स 1: शब्दों की परिभाषा
- 08** चित्र 1: सामाजिक बहिष्करण, गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा चक्र
- 10** तालिका 1: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और यौनिकता के बीच संबंध
- 21** बॉक्स 2: कुमार दास द्वारा यौनिकता पर विचार

## यौनिकता:

## गरीबी और खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण

अम्बिका वर्मा  
कुमार दास के साथ

### प्रस्तावना

यौनिकता मानव होने का एक निर्णायक पहलू है। व्यक्ति किस तरह से अपनी यौनिकता व्यक्त करना चुनते हैं वह उनके स्वास्थ्य, खुशहाली और सामाजिक विकास में उनकी भागीदारी और योगदान पर असर डालता है (हॉकिन्स, कॉर्नवाल, और लेविन 2011)। मुख्यधारा विकास के संवादों में अक्सर यौनिकता के मुद्दों को काफी हद तक नज़रअंदाज़ कर दिया गया है जबकि यह गरीबी और भूख जैसे दृढ़ मुद्दों से निपटने में सहयोगी हो सकता है। ऐसी ही एक चूक का उदाहरण है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल - एमडीजी), जिसमें एचआईवी और एड्स के सिवाए, यौनिकता का और कोई उल्लेख नहीं है। जहाँ हम इस साल सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की निर्धारित समयसीमा के करीब आ रहे हैं, वहीं अभी भी लगभग 1.2 अरब लोग 1.25 अमेरिकी डॉलर (लगभग 60 रूपए) प्रति दिन की गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 84.2 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं (एमडीजी रिपोर्ट 2014; एफएओ 2014)<sup>1</sup>। बहुआयामी गरीबी में वर्गीकृत लोगों की संख्या इससे भी अधिक है जो कि अनुमानतः 1.5 अरब है (यूएनडीपी 2014)।

वर्ष 2015 में सार्वभौमिक लक्ष्यों के एक नए समुच्चय का शुभारंभ भी किया गया जो कि सतत विकास लक्ष्य या सरस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) के रूप में पहचाने जाते हैं। 2015 पश्चात् विकास एजेंडा, जिनका अभी निर्माण किया जा रहा है, उसके 17 प्रस्तावित लक्ष्यों के पहले दो लक्ष्य गरीबी उन्मूलन (लक्ष्य 1) और भूख की समाप्ति (लक्ष्य 2) हैं, और यह दिखाते हैं कि वे अभी भी प्रासंगिक हैं (ओपन वर्किंग ग्रुप (ओडब्लूजी) 2014)। फिर भी, यह चिंता का विषय है कि महिला समूहों

व एलजीबीटीआई (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स) कार्यकर्ताओं द्वारा पैरवी के बावजूद भी यौनिकता का उल्लेख अभी भी लापता है। जबकि एमडीजी की तुलना में एसडीजी के सभी लक्ष्य अधिक प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं जिनमें शामिल हैं, “सभी तरह के भेदभाव का उन्मूलन”, “समावेशी विकास” को बढ़ावा देना, और “यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच बनाना”, लेकिन इनमें प्रकट रूप से मानव अधिकारों का, खासकर के यौनिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। जबकि सूचना और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख सूचक 3.7 (लक्ष्य 3) के अन्दर किया गया है, इसमें व्यापक यौनिकता शिक्षा की बात नहीं की गई है। इसकी अनुपस्थिति सरकारों और अन्य विकास की एजेंसियों की, यौनिकता और यौन अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई बेचैनी का संकेत है।

सिर्फ महिला और मानव अधिकार के मुद्दों को ही विकास के एजेंडा से दरकिनार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन मुद्दों पर काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों को ऐसी उच्च स्तरीय बैठकों में बहुत सीमित स्थान मिल पाता है जहाँ इन महत्वपूर्ण विकास लक्ष्यों पर बातचीत हो रही है। राजनीतिक घोषणा की बातचीत और कमीशन ऑफ़ द स्टेटस ऑफ़ वीमेन (सीएसडब्लू 59) मेथड्स ऑफ़ वर्क प्रस्ताव से महिलाओं के समूहों का अपवर्जन ऐसा ही एक उदाहरण है (सीएसडब्लू वक्तव्य 2015)।

आर्थिक विकास को उस जादू की छड़ी के रूप में देखा जाता है जो लोगों को गरीबी, भूख और दूसरी तरह के अन्य अभावों से बाहर निकाल सकती है। कई विकासशील देश नव-उदारवादी नीतियों और बाज़ार आधारित विकास की शुरुआत करके

<sup>1</sup> इन रिपोर्ट में लिए गए आंकड़े वर्ष 2011-13 तक के हैं।

वैश्वीकरण की गाड़ी में सवार हुए हैं जिसकी नींव वाशिंगटन कांसेंसेस में स्थापित की गई थी<sup>2</sup>। जहाँ गरीबी को कम करने में वैश्वीकरण ने कुछ हद तक मदद की है, वहीं असमानताओं को बढ़ाने में भी इसका योगदान रहा है। 1990 और 2013 के दशक के बीच आय असमानता, जिसको जिनी को-एफिशिएंट के रूप में मापा जाता था, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 33.5 से बढ़कर 37.5 हो गया (एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) 2013)।

शुरु में यौनिकता से जुड़े विकास प्रयोजन प्रजनन और जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत स्थित किए गए थे क्योंकि यह सीधे तौर पर उपभोग, गरीबी और पर्यावरण की सततता से सम्बंधित हैं। यह उन नीतियों के निर्माण का कारण बना जो केवल गरीब महिलाओं के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए थीं। एचआईवी और एड्स संक्रमण के आगमन ने दुनिया भर की सरकारों को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि मनुष्य यौन प्राणी हैं। हालांकि, यौनिकता को भी एक ऐसी चीज़ की तरह देखा जाने लगा जिसे नियंत्रित करने की ज़रूरत थी। ज़्यादातर मामलों में, ऐसी नीतियाँ विकसित की गईं जो विषमलैंगिक अभिविन्यास व आदर्शों पर आधारित हैं, और ऐसे लोगों को दण्डित करती हैं जो इस दृष्टिकोण के अनुरूप आचरण नहीं करते या इसके आधार पर सही नहीं बैठते (चंदीरामणी 2007, कोर्नवॉल और जॉली 2006; जॉली 2010)।

चूंकि यौनिकता को, गरीबी, खाद्य, और रोज़गार के अवसर की तरह एक “प्रमुख” चिंता के विषय के रूप में नहीं देखा जाता है इसीलिए इसका दस्तावेज़ीकरण, अध्ययन या उल्लेख, उसी तरह की दिलचस्पी या अनिवार्यता के साथ नहीं किया जाता। इसी तरह से हाशिए पर रह रहे समूहों जैसे ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोगों से सम्बंधित गरीबी और खाद्य असुरक्षा पर बहुत ही कम

आंकड़े मौजूद हैं। वे अधिकांश देशों के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के आँकड़ों में नहीं दिखाई देते। कुछ ही अध्ययनों में व्यवस्थित तरीके से यौनिकता के नज़रिए से गरीबी, खाद्य असुरक्षा और स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंधों को देखा गया है। यह बहिष्कार उन लोगों के प्रति न केवल अन्याय है जिन्हें बाहर छोड़ दिया गया है बल्कि यह गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य, उपयुक्त रोज़गार<sup>3</sup>, आवास, और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए ज़रूरी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जैसे विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए अवसर की चूक भी है।

यह प्रपत्र (पेपर) यौनिकता और यौन अधिकारों के नज़रिए से गरीबी और खाद्य सुरक्षा को देखने की कोशिश करता है जिससे इन मुद्दों के बीच परस्पर संबंधों को बाहर लाया जा सके। क्योंकि यह पेपर अन्वेषी प्रकृति का है इसीलिए इसकी अपनी सीमाएँ हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से और अधिक अन्वेषण के लिए और यौनिकता, गरीबी और खाद्य सुरक्षा की संकल्पनाओं के सूक्ष्म अध्ययन के लिए दरवाज़े खोलना है। यह गरीबी को एक बहुआयामी अभाव के रूप में देखता है और इसे लड़कियों, महिलाओं और यौन अल्पसंख्यकों के समूहों पर होने वाले व्यवस्थित बहिष्करण के परिणाम के रूप में देखता है जो उनकी जेंडर आधारित पहचान और यौन अभिविन्यास के कारण होता है। जबकि यौनिकता पर आधारित बहिष्करण एक सार्वभौमिक मुद्दा है, यह पेपर भारत पर केन्द्रित है क्योंकि देश के आर्थिक विकास में ज़बरदस्त प्रगति, जिससे केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही लाभान्वित हुए हैं, के बावजूद भी यह बहिष्करण जारी है। यह इस बात की सिफ़ारिश करता है कि बहुलवादी और समावेशी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विभिन्न मुद्दों को समझने और अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करने को बरकरार रखा जा सकता है।

<sup>2</sup> सेरा, स्पीगेल और स्टिग्लिटज़ (2008) के अनुसार, वाशिंगटन सहमति (डब्लूसी) प्रभावी विकास रणनीतियों के बारे में विचारों का सेट है जो वाशिंगटन स्थित संस्थानों - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, और अमेरिकी ट्रेज़री के साथ जुड़ा है। इस शब्दावली का प्रयोग जॉन विलियमसन ने पहली बार 1993 में शुरू किया था। डब्लू सी एस सुधारों पर आधारित है: 1. राजकोषीय अनुशासन, 2. सार्वजनिक खर्च में बदलाव, सब्सिडी से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा में, 3. कर सुधार, 4. बाज़ार निर्धारित ब्याज दर, 5. बाज़ार निर्धारित विनिमय दर, 6. व्यापार उदारीकरण, 7. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोई प्रतिबंध नहीं (एफ़डीआई), 8. निजीकरण, 9. अविनियमन, और 10. ठोस संपदा अधिकार (भट्टाचार्य 2013)।

<sup>3</sup> उपयुक्त कार्य को आम तौर पर लोगों द्वारा स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, और गरिमा की स्थिति में किए गए उत्पादक कार्य की तरह समझा जाता है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, 1990)।

## गरीबी को बहुआयामी अभाव के रूप में समझना

मुख्यधारा के संवादों में, गरीबी को अक्सर आय और खपत के संकीर्ण संदर्भ में समझा जाता है और इसे सकल विकास उत्पाद (ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट या जीडीपी), “विकास” और “गरीबी रेखा आय” के द्वारा मापा जाता है। यह जटिल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बलों, जो गरीबी पैदा करने में परस्पर प्रभाव डालते हैं, की उपेक्षा करता है। जैसे गरीबी से निपटने के लिए हमें इसके कई आयामों की समझ की आवश्यकता होती है वैसे ही इसे मापने के लिए हमें कई सांकेतिक कारकों को ध्यान में रखना होगा।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स - एमपीआई), जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा विकसित किया गया है वह ऐसे कई संकेतकों के एक समूह को प्रस्तुत करता है जो एक गरीब व्यक्ति के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, और जीवन स्तर के अभावों को भी प्रस्तुत करता है। इन तीन आयामों को 10 संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है, जैसे शिक्षा के लिए (पढ़ाई के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति); स्वास्थ्य के लिए (बाल मृत्यु दर, पोषण); और जीवन स्तर के मानक के लिए (बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, फर्श, खाना पकाने का ईंधन); और संपत्ति। एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब के रूप में पहचाना जाता है, अगर वह इन में से एक तिहाई या उससे अधिक आयामों में वंचित हो। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का विखंडन क्षेत्र, नस्ल और अन्य तरह के समूहों के अनुसार किया जा सकता है जो इसे गरीबी को मापने के लिए एक उपयोगी और सक्रिय उपकरण बनाता है (ओपीएचआई 2010)।

इस परिभाषा के अनुसार हम यह पाते हैं कि जो लोग गरीब हैं, वे वही लोग हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास प्रक्रियाओं में हाश्वकृत कर दिए गए हैं। जेंडर, आयु, यौनिक पहचान, विकलांगता, जाति/वर्ग तथा धर्म और अन्य कई कारणों के आधार पर बहिष्करण, बेबसी, समाज में निम्न वर्ग और एजेंसी की कमी का कारण बनता है। यह फिर गरीबी का कारण बनता है। इसीलिए, सभी तरह का बहिष्करण गरीबी का मूल कारण है। दूसरी ओर, समावेशीकरण और यौनिकता का सकारात्मक ढांचा संभवतः गरीबी को दूर कर सकता है।

## खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता को समझना

गरीबी की तरह, खाद्य असुरक्षा मानव विकास को पटरी से उतारने के लिए एक खतरा है। अनेक हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद सभी लोगों का पेट भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विभिन्न मुद्दों के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए भोजन के अधिकार को विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा होने का अर्थ है, “जब सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, अदूषित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक रूप से पहुँच हो, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार की ज़रूरत और भोजन वरीयताओं को पूरा करे।” इसके विपरीत, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन के लिए सुरक्षित पहुँच का अभाव खाद्य असुरक्षा की ओर ले जाता है। खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए चार महत्वपूर्ण आयाम - उपलब्धता, पहुँच, इन दोनों में स्थिरता और उपयोग आवश्यक हैं (एफएओ 2006)।

दूसरी तरफ़, खाद्य संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा के लिए एक आवश्यक शर्त है। इस अवधारणा को ज़मीनी स्तर के एक आन्दोलन “ला वाया केम्पेसीना” के द्वारा परिभाषित किया गया और सार्वजनिक बहस के लिए 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। यह नव-उदारवादी नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करता है और उन सिद्धांतों पर आधारित है जो भोजन को एक बुनियादी मानव अधिकार मानते हैं; खाद्य उत्पादकों का मूल्य, उनके ज्ञान और कौशल और उन सब को भोजन से संबंधित निर्णय का हिस्सा बनने की ज़रूरत; कृषि सुधारों के लिए ज़रूरी सभी उत्पादन संसाधनों पर नियंत्रण को फिर से बहाल करना; प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; भोजन को पोषण के स्रोत के रूप में देखना, व्यापार के लिए एक सामग्री या लोगों को नियंत्रित करने वाले हथियार की तरह नहीं; और बहुराष्ट्रीय निगमों और एजेंसियों का विरोध करने की ज़रूरत जिन्होंने वैश्विक स्तर पर कृषि और खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया है (क्लेय्स 2013)।

भोजन के अधिकार को, मानव अधिकारों के रूप में, सबसे पहले 1948 में, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

(यूडीएचआर) के आर्टिकल 25 के अंतर्गत जीने के उपयुक्त मानक के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई थी। “पर्याप्त भोजन का अधिकार तब पूरा होता है, जब हर पुरुष, महिला और बच्चे को, अकेले या समुदाय में दूसरों के साथ, पूरे समय पर्याप्त भोजन और इसकी खरीद के साधनों तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो” (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीडीएससीआर), 1999)। एक अधिकार के रूप में, सरकारों के कुछ हिस्सों के ऊपर, हर समय सभी के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करने की एक बाध्यकारी जिम्मेदारी है।

पूरे विश्व में अल्पपोषित लोगों में करीब 60 प्रतिशत महिलाएँ और लड़कियाँ हैं। विकासशील देशों में किए गए अध्ययनों से भूख, कुपोषण और जेंडर असमानता के बीच एक मज़बूत संबंध का पता चलता है। 1970 से 1995 के बीच, कुल भूख में कमी का 55 प्रतिशत महिलाओं की स्थिति के सुधार से जुड़ा हुआ था (स्मिथ और हदद 2000, एशियाई विकास बैंक 2013 में)। अल्पपोषित लोगों का प्रतिशत और अधिक होता यदि हाश्वकृत यौन अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों को गणना में शामिल किया जाता।

भोजन तक पहुँच और भोजन का उपयोग एक व्यक्ति या एक समुदाय के अपने माध्यमों या एजेंसी के इस्तेमाल की क्षमता से आंतरिक तौर पर जुड़ा हुआ है। यह क्षमता काफी हद तक आय के अभाव के कारण हो सकती है, लेकिन यह सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक संरचना और प्रणालियों से भी जुड़ी हुई है जो दुनिया भर में अधिकतर लोगों को गरीब और भूखा रखती है। उदाहरण के लिए, जेंडर लड़कियों और महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण और भोजन तक पहुँच का एक निर्धारक है, विशेष रूप से घरों के भीतर। घरेलू खाद्य वितरण में भेदभाव के ज्यादा उद्धृत उदाहरण दक्षिण एशिया में देखे जा सकते हैं जहाँ भोजन के वितरण में पदक्रम प्रबल होता है। इस आदेश के अनुसार, सबसे पहले वयस्क पुरुष भोजन खाएंगे, फिर युवा पुरुष और लड़के और उसके बाद लड़कियाँ व महिलाएँ। विशेष रूप से गरीब परिवारों में, क्योंकि लड़कियाँ और महिलाएँ आखिर में खाती हैं, पुरुषों के खाने के बाद बहुत कम भोजन बचता है या सबसे अच्छे भाग का उपभोग पुरुषों द्वारा कर लिया जाता है। इसी वजह से दक्षिण एशिया में लड़कों और पुरुषों की तुलना में लड़कियों और महिलाओं में भूख और

कुपोषण अधिक है (आईडीएस 2014)।

इसी तरह, खाने के उपभोग में चुनाव तभी किया जा सकता है जब लोगों के पास उत्पादन के लिए ज़रूरी साधनों पर नियंत्रण हो - भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधन, और बीज। कई महिलाएँ व पुरुष नव-उदारवादी भूमंडलीकरण के कारण इस अधिकार को खो रहे हैं। विशेष रूप से भारत में, किसान ऋणग्रस्तता और फसलों की विफलता की वजह से आत्महत्या जैसे प्रतिकूल कदम उठा रहे हैं। यह तथ्य आज की तारीख में भी कायम है (टाइम्स ऑफ़ इंडिया 2015)।

2014 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स और फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइज़ेशन के विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2014 के अनुसार दुनिया भर में 80.5 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं। दक्षिण एशिया खाद्य असुरक्षा को कम करने में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी जनसंख्या सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने में असमर्थ है। जबकि भारत के लिए कहा गया है, 1990 के बाद से बच्चों में अल्पपोषण कम करने में आई प्रगति के कारण जीएचआई स्कोर में तेज़ गिरावट आई है लेकिन, भोजन तक पहुँच और उसका कम उपयोग अभी भी एक बड़ी समस्या है। वज़न में सुधार के बावजूद, भारत में लगभग हर दूसरा बच्चा अविकसित है, जो कुपोषण का ही दूसरा रूप है। भोजन का कम उपयोग, खराब स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, अपर्याप्त पानी और साफ़-सफ़ाई की सुविधा से प्रभावित होता है, जो भोजन के असुरक्षित प्रबंधन के माध्यम से होने वाले संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में, गरीब लोगों के भागीदारी का स्तर कम होना भी भोजन के कम उपयोग का एक और कारण बताया गया है (आईएफपीआरआई 2014; एफ़एओ 2014)।

भारत की जीएचआई रैंकिंग में सुधार हुआ है, यह 2013 में 63 से 2014 में 55 तक पहुँच गई है, लेकिन यह अभी भी अपने तथाकथित आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ोसियों से पीछे चल रहा है (नेपाल - 44 और श्रीलंका - 39), और बांग्लादेश और पाकिस्तान (57 वां स्थान) की तुलना में केवल मामूली तौर पर बेहतर है (आईएफपीआरआई 2014)। एक देश जिसमें खाद्य उत्पादन आवश्यकता से अधिक है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी के रूप में कुपोषण उच्च स्तर पर है। ऐसे तत्वों की कमी के कारणों में

से एक है भारत में बदलता हुआ कृषि और खपत का तरीका जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अनिवार्य किया जा रहा है, और जिसे सरकार की नीतियों के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारत में परंपरागत रूप से एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाने के तरीके का अभ्यास किया जाता था। सरकार द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए एक ही तरह की फसल और चावल और संकर किस्मों के शुरुआत के कारण बाजरा, दाल, तिलहन आदि फसलें, लोगों के, विशेष रूप से गरीब लोगों के, नियमित आहार से गायब हो रहे हैं।

सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित किए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में अक्सर कमी होती है और यह एक स्वस्थ और विविध आहार के पूरक नहीं है (आईएफपीआरआई 2014, पृष्ठ 33)। एनीमिया की परेशानी प्रजनन आयु की भारतीय महिलाओं के बीच पुरानी है, हर दूसरी महिला (56 प्रतिशत) में खून की कमी पाई जाती है (इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेस (आईआईपीएस), एंड मैक्रो इंटरनेशनल 2007)। गर्भवती लड़कियाँ और महिलाएँ, आयरन की कमी, एनीमिया से खासकर समस्याग्रस्त हैं, विशेष रूप से प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के मामलों में, जो कि घातक हो सकता है या फिर इसके कारण आजीवन विकलांगता हो सकती है।

गरीबी और खाद्य असुरक्षा नज़्दीकी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से तब जब भोजन खरीदे जाने की ज़रूरत है। यह कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति अपनी कमाई का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा खाद्य सामग्री पर खर्च करते हैं। यहाँ तक कि भोजन या ईंधन की कीमतों में छोटा सा उतार-चढ़ाव भी केवल भोजन की मात्रा पर ही नहीं बल्कि भोजन की खपत की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त, भोजन पर खर्च का दूसरे कई खर्चों पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास आदि (एडीबी 2012)।

## यौनिकता को समझना

यौनिकता की समझ और उसका अनुभव विभिन्न लोगों के लिए अलग-अलग होता है। मुख्यधारा विकास के संवादों में, यौनिकता को मुख्यतः स्वास्थ्य, जेंडर आधारित हिंसा, और जनसंख्या

नियंत्रण के संदर्भ में संबोधित किया गया है। जबकि यह अधिकतर संस्कृतियों में एक अन्यथा “वर्जित” विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं, उन्होंने यौनिकता के सार को विषमलैंगिक पित्रसत्तात्मक ढांचे के भीतर व्यक्त किया है (चंदीरामणी 2007, गोसीन 2005; जॉली 2010)। इसके अतिरिक्त, यौनिकता को नकारात्मक प्रकाश में देखना उसकी अपनी क्षमता के अन्वेषण को रोकता है जो व्यक्तियों के सशक्तिकरण, और आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयोग की जा सकती है (हॉकिन्स, कॉर्नवाल, और लेविन 2011)।

सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा वह है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2006 में की गई एक कार्यशाला से उद्धृत हुई है:

*यौनिकता मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का मुख्य पहलू है जिसमें लिंग, जेंडर पहचान व भूमिका, यौन अभिविन्यास, कामुकता, सुख, घनिष्टता व प्रजनन सम्मिलित है। यौनिकता विचार, परिकल्पना, इच्छा, विश्वास, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यवहार, अनुभव, संबंध में अनुभव व अभिव्यक्ति की जाती है। यद्यपि यौनिकता के अंतर्गत उपरोक्त सभी पहलू आते हैं परन्तु सभी एक साथ अनुभव व अभिव्यक्ति नहीं किए जाते। यौनिकता पर जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक व आध्यात्मिक कारकों का प्रभाव होता है (डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी परिभाषा, 2006)।*

इस परिभाषा के अनुसार, यौनिकता, सेक्स और प्रजनन से अधिक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों का असर अक्सर न केवल अंतरंग संबंधों में शारीरिक अभिव्यक्ति के लिए बाधक है; इसके साथ ही यह विकास की प्रक्रिया में व्यक्तियों के भाग लेने की सक्षमता या अक्षमता और उसमें योगदान की प्रक्रिया के लिए भी बाधाओं के रूप में कार्य करता है (कॉर्नवाल, कोरिया, और जॉली (2008, पृष्ठ 5-6), जॉली 2010 में)। यौनिकता और जेंडर की रचना के सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड मुख्य रूप से विषमलैंगिक पित्रसत्तात्मक यौनिकता को सामान्य यौन अभिविन्यास की मान्यता देते हैं। विषमलैंगिक पित्रसत्तात्मक यौनिकता को सामान्य यौन अभिविन्यास समझने की मान्यता यह कहती है कि लोगों को अपने जैविक सेक्स के अनुसार दिए गए जेंडर

के मानदंडों का पालन करना चाहिए। यह मानदंड व्यक्तियों के जीवन के सार्वजनिक और निजी पहलुओं जैसे कपड़े पहनने के तरीके और, सार्वजनिक स्थानों में लोगों की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। लिंग के इस युग्मक (केवल दो ही लिंगों को मान्यता देना - महिला एवं पुरुष) की स्थापना करके, और उन

पर स्थापित व्यवहार मानदंड मढ़कर, ऐसे लोग जो इन ढांचों से बाहर हैं उन्हें “सामान्य से अलग” माना जाता है। इस तरह की एक परिभाषा के अनुसार, ऐसे लोग जो मानदंडों से इनकार करते हैं - लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर व्यक्ति - उनको “सामान्य से अलग” देखा जाता है। ठीक उसी तरह, यौन

## बॉक्स 1: शब्दों की परिभाषा

### प्रजनन स्वास्थ्य

प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि लोग एक ज़िम्मेदार, संतोषजनक और सुरक्षित यौन जीवन जी सकते हैं और वे प्रजनन करने में सक्षम हैं और उन्हें यह फैसला करने की स्वतंत्रता है कि वे प्रजनन करना चाहते हैं या नहीं और यदि हाँ तो कब और कितनी बार। इसमें पुरुषों और महिलाओं को प्रजनन की प्रभावी, सुरक्षित, कम खर्चीले और स्वीकार्य सुविधाओं को जानने का अधिकार और अपनी पसंद के गर्भनिरोधन के तरीके तक पहुँच भी शामिल है, और महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना भी शामिल है जो उन्हें गर्भावस्था और बच्चे के जन्म और साथियों को एक स्वस्थ शिशु की प्राप्ति के लिए सक्षम करता हो (डब्ल्यूएचओ 2006)।

### प्रजनन अधिकार

प्रजनन अधिकार में पहले से ही मान्यता प्राप्त कुछ मानव अधिकार सम्मिलित हैं जो, राष्ट्रीय कानूनों में, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के दस्तावेज़ और अन्य आम सहमति दस्तावेज़ों में निहित हैं। यह अधिकार सभी साथियों और व्यक्तियों के बुनियादी अधिकार की पहचान पर निर्भर करते हैं, जो कि स्वतंत्र और ज़िम्मेदार रूप से अपने बच्चों की संख्या, अंतर और समय तय करने का अधिकार और जानकारी होने और यह करने के लिए सुविधाओं की उपलब्धि, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम मानक को प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें उनके बिना किसी भेदभाव, दबाव और हिंसा के प्रजनन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल है, जैसा कि मानव अधिकारों के दस्तावेज़ों में व्यक्त किया गया है (आईसीपीडी पीओए 1994)।

### यौन स्वास्थ्य

यौन स्वास्थ्य का तात्पर्य मानव यौनिकता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण से है और यौन स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है जीवन और व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा देना, इसके साथ ही प्रजनन और यौन संचारित रोगों से संबंधित काउंसलिंग और देखभाल उपलब्ध कराना (अनुकूलित, यूएन)।

### यौन अधिकार

यौन अधिकार में पहले से ही मान्यता प्राप्त मानव अधिकार सम्मिलित हैं जो, राष्ट्रीय कानूनों, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के दस्तावेज़ और अन्य आम सहमति दस्तावेज़ों में निहित हैं। इनमें, बिना किसी दबाव, भेदभाव और हिंसा के, सभी व्यक्तियों के यौनिकता से जुड़े स्वास्थ्य के उच्चतम मानक प्राप्त करने के अधिकार शामिल हैं, जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच; यौनिकता पर जानकारी ढूँढना, प्राप्त करना; यौनिकता शिक्षा; शारीरिक अखंडता का सम्मान; साथी का चुनाव; यौन रूप से सक्रिय होने या न होने का फैसला; सहमति से यौन संबंध; सहमति से शादी; बच्चे पैदा करने या न करने या कब करने का फैसला; और संतोषजनक सुरक्षित और सुखद यौन जीवन को पाना, सम्मिलित है (डब्ल्यूएचओ 2006)।

स्रोत : एशियन-पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन (एरो)। (2006)। *रीक्लेमिंग एंड रीडिफाइनिंग राइट्स। आईसीपीडी 15 : स्टेटस ऑफ़ सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स इन एशिया*। कुआला लंपुर : एरो।

कर्म (सेक्स वर्कर) जो यौनिकता के प्रमुख मानदंडों को चुनौती देते हैं वे “सामान्य” होने के ढांचे से बाहर कर दिए जाते हैं। जहाँ यह मानदंड व्यक्तिगत व्यवहार और धारणाओं को आकार देते हैं, वहीं यह विकास के मुद्दों पर नीतियों और कार्यक्रमों में भी देखे जा सकते हैं। यौनिकता का सकारात्मक नज़रिया मानव विकास के साथ लोगों के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई रास्ते बनाता है।

## यौनिकता: गरीबी, खाद्य संप्रभुता, और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों की तलाश

मनुष्य के जीवन में यौनिकता की केन्द्रीयता का मतलब यह है कि यौनिकता को एक व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। यौनिकता का प्रमुख ढांचा जो विषमलैंगिक पित्रसत्तात्मक संबंधों को सामान्य होने के रूप में बढ़ावा देता है, वह जन समुदायों को, उनके जेंडर और यौन अभिविन्यास के आधार पर, संसाधनों तक पहुँच, और उनकी विकास में भागीदारी को नकारता है। यह भेदभाव समाज में इस तरह से फैले हुए हैं कि जब तक इनकी तरफ ध्यान केन्द्रित न किया जाए ये सामान्य ही प्रतीत होते हैं। इस कारण से, नीति निर्माता और सत्ता और विशेषाधिकार के पदों पर बैठे लोग, महिलाओं और अन्य यौन अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों की अपने नीतियों और कार्यक्रमों में अनदेखी करते हैं। इन समूहों की उपेक्षा समाज में इनके द्वारा किए गए अनगिनत कार्य और योगदान को नकारती है। उदाहरण के लिए, विश्व के कई हिस्सों की तरह भारत में भी महिलाओं द्वारा किए गए देखभाल और घरेलू काम आर्थिक रूप से नहीं पहचाने जाते, इसीलिए अवैतनिक हैं। अगर उनके अवैतनिक कामों में मूल्यों की पर्चियाँ लगी होतीं, और अगर उनका भुगतान सरकारी निधी से होता, तो यह भारत के कर राजस्व का कम से कम 182 प्रतिशत तक होता (एडीबी 2013)। इसीलिए हाशियकृत लोगों की क्षमता की अनदेखी विकास के मार्ग में बाधक है। अतः जेंडर और यौनिकता गरीबी और खाद्य असुरक्षा के मुख्य निर्धारकों में है। (सामाजिक बहिष्कार, गरीबी, और खाद्य सुरक्षा चक्र: चित्र 1 देखें, पृष्ठ 08 और तालिका 1: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और यौनिकता के मुद्दों के बीच संबंध, पृष्ठ 10-13।)

## शिक्षा तक पहुँच में बाधाएँ

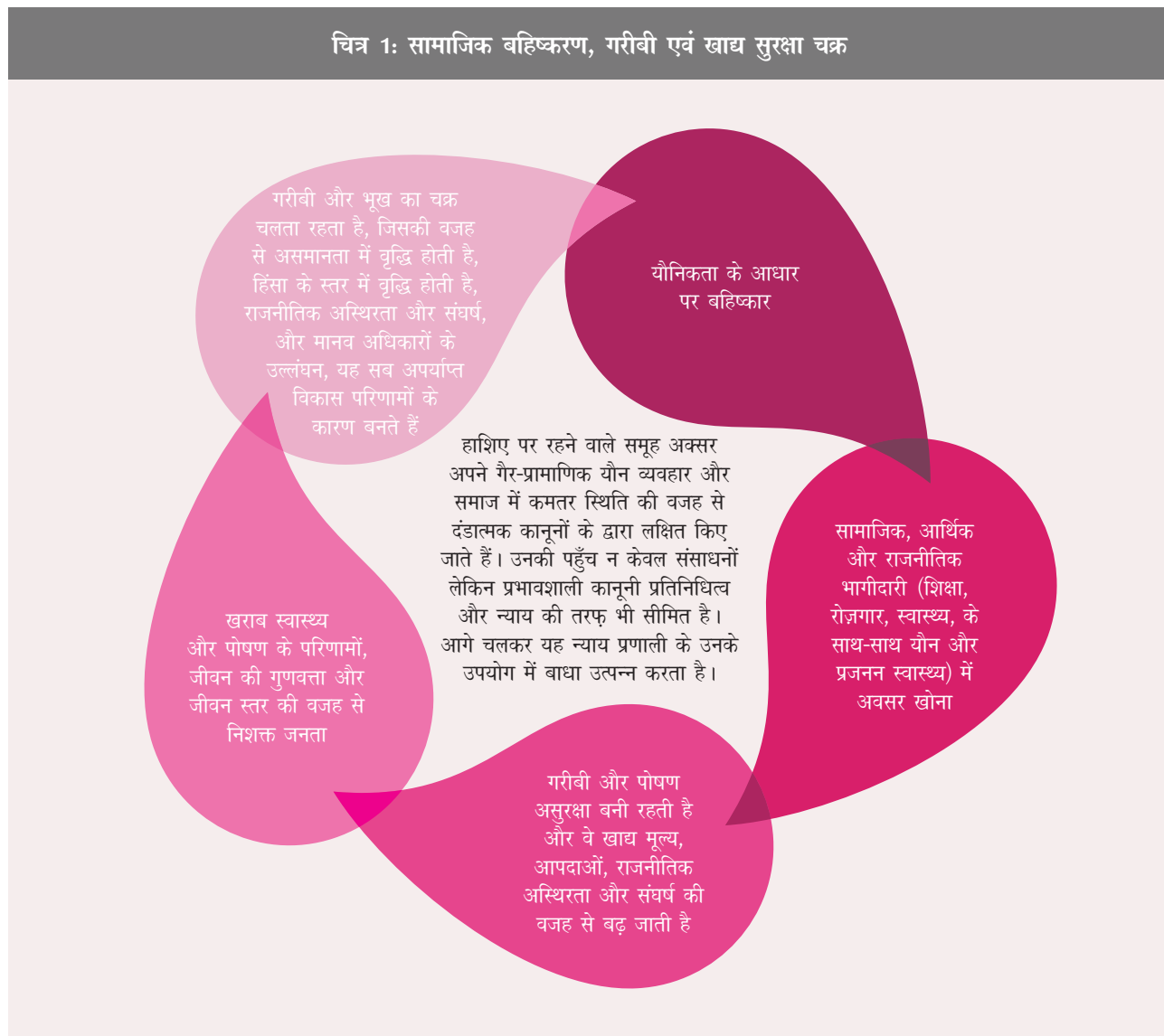
शिक्षा को उद्धार करने वाले और सशक्त बनाने वाले उपकरण के तौर पर देखा जाता है और यह गरीबी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसी वजह से, इसे एमपीआई, एमडीजी और नए एसडीजी के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्ञान और कौशल के माध्यम से, समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति और उनकी मोलतोल करने की शक्ति में सुधार किया जा सकता है, बेहतर रोज़गार और वेतन के लिए बातचीत की जा सकती है, और इस तरह गरीबी के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। शिक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है।

### स्कूली शिक्षा

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल में नामांकन और स्कूल में बिताए गए वर्षों की संख्या यौनिकता से अत्यधिक प्रभावित हो सकती है। बहुत सारे बच्चे, विशेष रूप से लड़कियाँ, ऐसे अभिभावकों के बच्चे जो समाज के अनुसार अच्छे नहीं माने जाते, जैसे यौन कर्म और कचरा उठाने के व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति, एचआईवी के साथ रह रहे अभिभावकों के बच्चे, और ट्रांसजेंडर बच्चे, कई तरह के सामाजिक और संस्थागत पूर्वाग्रह की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। कलंक, उत्पीड़न और हिंसा, पढ़ाई पूरा न कर पाने का कारण बनते हैं। यह विशेष रूप से ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए सच है जिन्हें यौन नियमों के अनुरूप न होने की वजह से छेड़खानी, उत्पीड़न और यहाँ तक कि यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने घर पर भी हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर करता है और इसीलिए शिक्षा भी छूट जाती है (सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज़ एट ऑल. 2014)।

भारत के संदर्भ में, लड़कियों को गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया जाता है, और घर की देखभाल को स्कूल जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा, उन्हें अपने माता-पिता के काम का बोझ कम करने, या तो खेतों में (ग्रामीण क्षेत्रों में), या फिर उनके छोटे भाई-बहन की देखभाल करने, खाना पकाने और सफ़ाई में उपयोगी होने के रूप में देखा जाता है। एक बार जब लड़कियाँ यौवनावस्था में पहुँच जाती हैं, गरीब घरों में जन्मी लड़कियों की अक्सर शादी कर दी जाती है, क्योंकि शादी को

चित्र 1: सामाजिक बहिष्करण, गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा चक्र



गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते के रूप में देखा जाता है। यौन संबंध केवल विवाह के भीतर मंजूर है, इसलिए माता-पिता का मानना है कि जितनी जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाए, उनके यौन रूप से सक्रिय होने, गर्भवती, या सामाजिक रूप से मंजूर शादी के बाहर यौन दुर्व्यवहार के अवसर का जोखिम कम हो जाता है (खन्ना, वर्मा और वाइस 2013)। भले ही लड़कियों की शादी कानूनी उम्र से पहले न हो लेकिन यौन परिपक्वता के बाद उनकी गतिशीलता पर लगे प्रतिबन्ध की वजह से उनका स्कूल छूट सकता है।

स्कूल भी जेंडर के मानदंडों और रुढ़ियों को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग काम देना, जहाँ लड़कियों को स्कूल में झाड़ू देने और साफ़-सफ़ाई के लिए कहा जाता है, वहीं लड़कों को स्कूल परिसर से बाहर जाने की अनुमति होती है (सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज़ एट ऑल. 2014)।

स्कूल में नामांकन और भागीदारी प्रोत्साहित करने और बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए, भारत में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गयी थी। सरकार की ओर से सकारात्मक पहल

की वजह से भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों में पोषण असुरक्षा का स्तर गिरता हुआ देखा जा सकता है (आईएफपीआरआई 2014)। इन पहलों के बावजूद हम भारत में शिक्षा प्राप्ति में एक विशाल असमानता देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 82.14 प्रतिशत पुरुष साक्षरता के स्तर और 74.04 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में महिला साक्षरता का स्तर 65.46 प्रतिशत है (भारत की जनगणना, 2011)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में 43 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं (जीजीभाँय एंड संध्या 2011 दास 2014 में)।

### यौनिकता शिक्षा

किशोरों और युवा लोगों को यौनिकता, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, स्कूलों में व्यापक यौनिकता शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सही जानकारी के अभाव के कारण कई नकारात्मक जटिलताएँ पैदा होती हैं, विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जहाँ इस तरह की जानकारी अस्पष्ट, पक्षपातपूर्ण, अपर्याप्त, और अधूरी है। चूँकि सेक्स के बारे में बात करना वर्जित है, इसीलिए शायद युवा लोग यौनिकता और सेक्स के बारे में बहुत कम ज्ञान और गलत धारणाओं के साथ बड़े होते और अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। आगे चलकर यह अलग यौन पहचान के लोगों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकते हैं और इस तरह से, यौन अल्पसंख्यकों की अदृश्यता को सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं।

भारत में किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम), खासकर पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु की वजह से, बहस का मुद्दा है। इसके साथ ही, सरकार सहित, कई पक्षों की तरफ से होने वाला प्रतिरोध इस शिक्षा की ज़रूरत को नकारता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा 2007 में विकसित पाठ्यक्रम को खारिज कर दिया गया था (ऐरो 2011), और कुछ समय पश्चात इस पाठ्यक्रम का एक संशोधित संस्करण भारत में चुनिंदा राज्यों बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और राजस्थान में पुनः शुरू किया गया। हालाँकि, स्कूलों में यह अभी भी अनिवार्य नहीं है और व्यापक होना तो दूर, इसमें अभी भी कई कमियाँ हैं। पाठ्यक्रम की कुछ कमियों में, समझने में कठिन और अस्पष्ट भाषा, यौनिकता और यौन स्वास्थ्य जैसे ज़रूरी शब्दावली की अनुपस्थिति, गर्भनिरोध के तरीकों, उनकी उपलब्धता, पहुँच और

उपयोग के परिणाम का अपवर्जन, और यौन अल्पसंख्यकों को पूरी तरह शामिल नहीं करना, आदि भी शामिल है (दास 2014)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) (एनएफएचएस - 3) के निष्कर्षों से पता चलता है कि 15-49 वर्ष के आयु वर्ग में केवल 61 प्रतिशत महिलाओं और 15-49 आयु वर्ग में 84 प्रतिशत पुरुषों ने एड्स के बारे में सुना था (इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पापुलेशन साइंसेज़ (आईआईपीएस), और मैक्रो इंटरनेशनल 2007)। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम जानकारी थी। यौन व्यवहारों, संचरण और एचआईवी के साथ जी रहे लोगों के प्रति व्यवहार को जानने के लिए एचआईवी और एड्स के बारे में जानकारी और धारणा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए, संस्कृति के संरक्षण के नाम पर व्यापक यौनिकता शिक्षा को स्कूलों में शुरू करने को लेकर भारत सरकार की उदासीनता दुख की बात है। यह नीतियों और कार्यक्रमों में यौन मानदंडों के समाजीकरण को बनाए रखने का एक और तरीका है।

यौनिकता को केवल शादी के भीतर ही रख कर देखना युवाओं, विधवा महिलाओं और इसी तरह अघेड़ उम्र की महिलाओं की यौन ज़रूरतों की अनदेखी करता है। शादी के भीतर भी, यौन संबंधों के केवल कुछ पहलुओं को स्वीकार किया जाता है जैसे प्रजनन। राष्ट्रीय स्तर के डेटा संग्रह में भी यही बात परिलक्षित होती है जहाँ प्रजनन स्वास्थ्य, जैसे गर्भनिरोधक, से जुड़ी जानकारी, केवल विवाहित महिलाओं से इकट्ठा की जाती है, जिसमें उन सारे युवाओं को बाहर छोड़ दिया जाता है जो हो सकता है यौन रूप से सक्रिय हों।

अतः जेंडर और यौन मानदंडों की वजह से शिक्षा तक पहुँच में आई बाधाएँ, न केवल गरीबी कम करने के अवसरों को अत्यंत प्रभावित करती हैं, बल्कि यह खाद्य सामग्री और पोषण प्राप्त करने को भी प्रभावित करती हैं। वे गरीब बच्चे जिन्हें स्कूल में उपस्थिति की वजह से शायद एक वक्त का पौष्टिक भोजन मिल जाता था, स्कूल छूट जाने की वजह से इससे वंचित रह जाते हैं, जो उनके भोजन और पोषक तत्वों के स्तर को अत्यंत प्रभावित करता है।

तालिका 1: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और यौनिकता के मुद्दों के बीच संबंध

| यौनिकता के आधार पर बहिष्कार | शिक्षा                                                                                                                                                                                                                                                     | स्वास्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रोज़गार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | कलंक और भेदभाव लड़कियों, और अनेक एचआईवी पॉजिटिव बच्चों और एचआईवी पॉजिटिव माता-पिता के बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, और जैविक सेक्स के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित नहीं करने वाले बच्चों की स्कूल में उपस्थिति और स्कूली शिक्षा के पूरा होने में बाधा डालते हैं। | लड़कियों और महिलाओं पर अपने घरों के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना कठिन बना देता है।                                                                                                                                                                                                                                              | भेदभाव और शिक्षा का निम्न स्तर औपचारिक श्रम बाज़ार में उपयुक्त काम मिलने की संभावना में अड़चन पैदा करता है। कई महिलाएँ, लड़कियाँ और यौन अल्पसंख्यक स्वयं को अनौपचारिक क्षेत्र में पाते हैं, जहाँ उनके श्रम अधिकारों का संरक्षण ना के बराबर होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | लड़कियों की एक बड़ी संख्या शारीरिक परिपक्वता के बाद कई कारणों से स्कूल आना बंद कर देती हैं, इनमें गर्भावस्था, जल्दी शादी और घरेलू कामकाज के साथ देखभाल का बोझ भी शामिल है।                                                                                 | शिक्षा की कमी के कारण, चिकित्सा की ज़रूरत की स्थिति की पहचान कर पाने में असमर्थता, स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने की अक्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में बाधा बनती है।                                                                                                                                                                                    | ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भेदभाव और कलंक की वजह से औपचारिक श्रम बाज़ार में नौकरी मिल पाना मुश्किल होता है। हिजड़ा समुदाय <sup>5</sup> के लोगों को गायन, नृत्य और गलियों में भीख माँगने का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें अक्सर हिंसा और पुलिस द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जेंडर पहचान का खुलासा होने पर, भेदभाव और अपनी नौकरी खोने के डर से कई समलैंगिक व्यक्ति उन नौकरियों को जारी रखते हैं जो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हैं और शोषक हैं, और जिनमें उन्हें यौन उत्पीड़न और/या ब्लैकमेल या धमकी का भी सामना करना पड़ सकता है। |
|                             | किशोर लड़के और लड़कियाँ शारीरिक परिपक्वता के बाद स्कूल छोड़ने की वजह से, स्कूलों में उच्च कक्षाओं में दी जाने वाली यौनिकता शिक्षा के ज़रिए मिलने वाली, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन कौशल पर महत्वपूर्ण जानकारी, यदि उपलब्ध हो तो, से वंचित हो जाते हैं। | लड़कियों, महिलाओं और यौन अल्पसंख्यकों के शरीर अक्सर बिना सूचित सहमति के चिकित्सा अनुसंधान के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं।                                                                                                                                                                                                                                              | शैक्षिक कौशल की कमी के अलावा, घर से निकलने पर प्रतिबंध की वजह से लड़कियों और महिलाओं को काम खोजने में मुश्किल हो सकती है। नियोक्ताओं का व्यवहार महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण हो सकता है क्योंकि महिलाएँ गर्भवती हो सकती हैं और गर्भावस्था के दौरान काम से छुट्टी ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपनी नौकरियाँ भी खोनी पड़ सकती हैं।                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण स्वास्थ्य के लिए होने वाले निजी खर्च को बढ़ा देता है।                                                                                                                                                                                                                                                                       | लड़कियों और महिलाओं के द्वारा देखभाल और घरेलू काम को कम महत्व दिया जाता है और इसलिए इसका कोई वेतन नहीं होता है। उनके काम को मान्यता प्राप्त न होने के कारण और अपराधीकरण की वजह से, यौनकर्मियों का समूह सबसे बहिष्कृत समूहों में से एक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जेंडर परिवर्तन सर्जरी का खर्च वहन करने के लिए जोखिम भरे यौन व्यवहारों का सहारा लेना पड़ सकता है। वैकल्पिक रूप से, उन्हें सस्ते और असुरक्षित तरीकों का चुनाव करना पड़ सकता है।                                                                                                                                                              | महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नामांकन से चुनाव तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनकी यौनिकता, वैवाहिक स्थिति, उनके बच्चे हैं या नहीं ऐसी कई बातें उनके इस पेशे को प्रभावित करती हैं। मानदंडों से विचलन उनकी विश्वसनीयता और उम्मीदवारी पर सवाल उठा सकता है। इसी तरह, समलैंगिक व्यक्ति, ट्रांस व्यक्ति और/या यौन कर्मी के लिए राजनीति में प्रवेश मुश्किल होगा। अतः पेशों के चुनाव के विकल्प निहायत सीमित हो जाते हैं।                                                                                                       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | गर्भनिरोधकों तक पहुँच न होने के कारण अनचाहा गर्भधारण, और बच्चों के जन्म के बीच सुरक्षित अंतर रखने में अक्षमता हो सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थता कई महिलाओं के स्वास्थ्य और खुशहाली पर हानिकारक प्रभाव डालती है। गर्भवती होने या यौन रोगों से ग्रस्त होने का डर लोगों को सेक्स से परहेज़ करने पर मजबूर कर सकता है, और यौन आनंद को बाधित कर सकता है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | यौनिकता से जुड़ी वर्जनाएँ भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ यौन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर खुले तौर से चर्चा करना कठिन बना देती हैं, विशेष रूप से युवा लोगों, और महिलाओं के लिए।                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | हिंसा का डर, और जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास को छिपाने का तनाव, अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

तालिका 1: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और यौनिकता के मुद्दों के बीच संबंध

| आवास/जीवन स्तर                                                                                                                                                                                                               | शादी व सामाजिक सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जेंडर आधारित हिंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वच्छ, सुरक्षित आवासों तक पहुँच ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं यौन कर्मियों के लिए एक मुद्दा है, जो खराब हालत के घरों और स्थिति में रहते हैं, जहाँ स्वच्छ पानी, और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है।                                | शादी को अक्सर गरीबी से बाहर निकलने के लिए सहारे के रूप में देखा जाता है। कई देशों के गरीब परिवारों से लड़कियों की जल्दी, कानूनी उम्र से पहले ही, शादी कर दी जाती है।                                                                                                                                                                                  | यौन भेदभाव अक्सर हिंसा के लिए पृष्ठभूमि बनते हैं। होमोफ़ोबिया और ट्रांसफ़ोबिया <sup>4</sup> , ऐसे लोगों के प्रति भी नफ़रत से पैदा हुए अपराध और हिंसा का कारण बनती है जिनके समलैंगिक रिश्तों में होने या ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने का सिर्फ़ आभास होता है। बलात्कार को कथित रूप से यौन “विकृत” व्यक्ति के “असामान्य” होने के सुधारात्मक उपाय की तरह देखा जाता है। |
| समलैंगिक लोगों को आवास खोजने के लिए अपना यौन अभिविन्यास छिपाना पड़ सकता है। इसी प्रकार, एकल महिलाओं को अपने एकल होने की वजह से आवास ढूँढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।                                          | शादी सभी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र की गारंटी नहीं लेती। ऐसे देश जहाँ संपत्ति खरीदे जाने पर संयुक्त स्वामित्व अनिवार्य नहीं है, वहाँ, पुरुषों के पास एकल स्वामित्व की अधिक संभावना है। अपने शादी से पहले के परिवार और पति के परिवार के साथ संबंधों को कायम रखने के लिए महिलाओं का संपत्ति के अधिकारों पर बातचीत करना और भी कठिन हो जाता है। | कानूनी सुरक्षा की कमी ऐसे लोगों के प्रति हिंसा को मान्यता देती है जिनके समलैंगिक होने या समलैंगिक रिश्तों में होने का आभास हो। इसी तरह से हिंसा को एक संस्थागत रूप देकर बर्दाश्त किया जाता है।                                                                                                                                                                  |
| खराब रहन-सहन की स्थिति और निजी स्थानों की कमी यौन आनंद की प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। जल्दबाज़ी में बने यौन सम्बन्ध, सुरक्षित यौन व्यवहार करने के लिए बहुत कम समय देते हैं, जिससे यौन संचारित संक्रमण का ख़तरा बढ़ता है। | कई समाजों में केवल शादी के भीतर यौन संबंध की अनुमति है, इसीलिए जो शादी की व्यवस्था से बाहर हैं - विधवा महिलाएँ, एकल महिलाएँ, युवा व्यक्ति, और समलैंगिक महिलाएँ और पुरुष - उन्हें प्रेम पूर्ण सम्बन्ध बनाने के बहुत कम जगह मिलती है। यदि वे ऐसा करते पकड़े जाएँ, तो उन्हें शोषण, हिंसा, और बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | बहिष्कार के डर से कई लोग विषमलैंगिक विवाह में या दुखी विवाहित संबंधों में रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>4</sup> इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में, एक समुदाय के लोगों की पहचान के रूप में किया जाता है। इस समुदाय में वे शामिल हो सकते हैं जो वंध्यकरण (ऑपरेशन द्वारा लिंग कटवाना/हटवाना) कराते हैं या कराने की इच्छा रखते हैं; वे भी शामिल हो सकते हैं जो इंटरसेक्स हैं या वे जो अपनी पहचान समलैंगिक के रूप में करते हैं। यद्यपि कुछ लोग जो इस समुदाय से हैं, वे स्वयं को महिला के रूप में सम्बोधित करते हैं, कई अन्य मानते हैं कि वे तीसरे जेंडर के सदस्य हैं और वे ना ही पुरुष हैं और ना ही महिला।

<sup>5</sup> अपने शारीरिक जेंडर को स्वीकार ना करते हुए स्वयं को दूसरे जेंडर का मानने वाले लोग स्वयं की पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में कर सकते हैं और वे जो अपने जेंडर को बदलने के लिए चिकित्सीय उपाय अपनाते हैं, वे स्वयं को ट्रांससेक्सुअल कह सकते हैं।

<sup>6</sup> समलैंगिक एवं ट्रांस लोगों के प्रति घृणा एवं पूर्वाग्रह

तालिका 1: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और यौनिकता के मुद्दों के बीच संबंध

|                                       | शिक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्वास्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रोज़गार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गरीबी में कमी पर प्रभाव               | <p>क्योंकि शिक्षा को गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक साधन के रूप में देखा जाता है, कम शिक्षा के कारण, एक बड़ी जनसंख्या है जो अकुशल है और श्रम बाज़ार के लिए ठीक तरह से तैयार नहीं है। इस जनसंख्या में आत्मविश्वास और अपने लिए मोलतोल करने की शक्ति का अभाव होता है, ये हिंसा और निंदा के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं, और निरंतर गरीबी में ही रहने को मजबूर होते हैं।</p>                                                                                                                                                                                  | <p>खराब स्वास्थ्य, लाभकारी रोज़गार प्राप्त करने में बाधाएँ पैदा करता है और इसी तरह, गरीबी के परिणामस्वरूप खराब स्वास्थ्य हो सकता है।</p> <p>स्वास्थ्य सेवाओं पर निजी खर्च की वजह से ऋणग्रस्तता हो सकती है और कई पीढ़ियों तक लोगों को साधनहीन कर सकती है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>एक स्थिर और वैतनिक नौकरी गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। यौनिकता और जेंडर के आधार पर भेदभाव, गरीबी में कमी लाने के लिए प्रतिकूल है।</p> <p>जब लड़कियों और महिलाओं के काम की पहचान “काम” के रूप में नहीं होती है और उनके काम को अवैतनिक माना जाता है, तब इसका असर न केवल आय की कमी पर, लेकिन संसाधनों तक पहुँच में कमी, घर से बाहर सामाजिक संबंधों में कमी, उनके विकास और आज़ादी के अधिकार पर प्रतिबंध के रूप में होता है।</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता पर असर | <p>शिक्षा में भेदभाव कुपोषण को कम करने का अवसर खोने जैसा है। अपने जेंडर और यौनिकता की वजह से कई बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से, वे मध्याह्न भोजन योजना जैसे पोषण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं।</p> <p>महिला किसानों को साक्षरता के निम्न स्तर और संख्या की वजह से विशेष भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें अक्सर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और अन्य कुशल कृषि गतिविधियों से बाहर रखा जाता है, और पुरुष किसानों की तुलना में कम भुगतान दिया जाता जाता है। संसाधनों का उपयोग खाद्य संप्रभुता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।</p> | <p>परिवारों में खाद्य वितरण से जुड़े भेदभावपूर्ण व्यवहार, लड़कियों और महिलाओं को निचले पायदान का दर्ज़ा देते हैं और उनके बीच खाद्य असुरक्षा और कुपोषण बढ़ाते हैं।</p> <p>जब खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती है, और बढ़ती खाद्य कीमतों के साथ ही, लड़कियों, महिलाओं और हाश्वकृत समूहों की खाद्य सुरक्षा अत्यंत जोखिम में पड़ जाती है।</p> <p>क्योंकि गरीब व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं उनके पास चिकित्सा खर्च के लिए बहुत कम आय बचती है। वे भोजन खरीदने के लिए जोखिम भरे सेक्स के सौदे का सहारा भी ले सकते हैं, जो एचआईवी के साथ यौन संचारित संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं।</p> <p>पेट भरने के लिए सस्ता, खराब गुणवत्ता वाला और अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।</p> <p>अस्वस्थ लोगों को भोजन को अवशोषित करने में कठिनाई होती है, जिससे उनके पोषण पर प्रभाव पड़ता है। यह विशेष रूप से एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों (पीएलएचआईवी) के लिए सच है, क्योंकि उन्हें कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली का सामना करना पड़ता है।</p> <p>कुपोषण थकान पैदा कर सकता है, इच्छा की कमी और एक स्वस्थ यौन जीवन व्यतीत करने में असमर्थता भी पैदा कर सकता है।</p> | <p>बेरोज़गारी, अवैतनिक कार्य और कम भुगतान खाद्य और पोषण सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर तब, जब भोजन खरीदना पड़े।</p> <p>जहाँ खाद्य सामग्री की खेती की जाती है, वहाँ भी महिलाओं को खाद्य और पोषण असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि खाद्य सामग्री को बाज़ार में बेचे जाने की ज़रूरत होती है।</p> <p>घर के अन्दर और बाहर अपने वैतनिक और अवैतनिक कार्यों की मान्यता न होने की वजह से कमतर स्थिति का असर आत्म-दोष और भोजन के उपयोग में प्रतिबंध के रूप में हो सकता है।</p> <p>भेदभाव खाद्य संप्रभुता पर असर डालता है। जैसा कि पाया जाता है उत्पादन के संसाधन - भूमि, पानी, बीज, और वित्त - पर महिलाओं की पहुँच कम या ना के बराबर होती है।</p> |

तालिका 1: गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और यौनिकता के मुद्दों के बीच संबंध

| आवास/जीवन स्तर                                                                                                                                                                                                                                          | शादी व सामाजिक सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जेंडर आधारित हिंसा                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुरक्षित और स्वच्छ आश्रयों, स्वच्छ पानी, और सफाई व्यवस्था की कमी, गरीबी के संकेतक हैं। अनिश्चित और असुरक्षित स्थानों और निवास में रहने वाले लोग अक्सर गरीब होते हैं।                                                                                    | क्योंकि, काम की तलाश के लिए सामाजिक नेटवर्क महत्वपूर्ण हैं, हाथ्यकृत लोगों के लिए इसमें काफी मुश्किल होती है। ऐसे लोग जिन्हें उनके परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया है और जो बेरोजगार भी हैं वह समर्थन के लिए अक्सर अपने परिवारों पर भी निर्भर नहीं कर सकते हैं। यह ट्रांस व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सच है। ट्रांसजेंडर लोगों के पास परिवार के संसाधन नहीं होते और इसीलिए वे अक्सर गरीबी के शिकार हो जाते हैं। | हिंसा गरीबी में कमी को प्रभावित कर सकती है। हिंसा का डर लोगों को आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने से प्रतिबंधित करता है, जो उन्हें गरीबी की तरफ ले जाता है।                                                                                                |
| स्वच्छता, सफाई और साफ पानी की कमी से पोषण सुरक्षा पर असर पड़ता है, और कुपोषण, संक्रमण और खराब स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। गरीब व्यक्ति अपने भोजन पर खर्च की प्राथमिकता के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए, उनके द्वारा जीवन स्तर पर कई समझौते किए जाते हैं। | एक परिवार में होना, और अपने यौन अभिविन्यास, अभिव्यक्ति या जेंडर पहचान के बावजूद स्वीकार किया जाना, पर्याप्त भोजन मिलने के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग इस सुरक्षा तंत्र को खो देते हैं, वे खाद्य और पोषण के प्रति असुरक्षा के उच्च जोखिम स्तर पर हैं।                                                                                                                                                                | लड़कियाँ और महिलाएँ जिन्हें भोजन, ईंधन, और पानी इकट्ठा करने के लिए दूर जाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कई स्थितियों में हिंसा, यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष, नागरिक अशांति और आपदाओं के समय में इसके अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखते हैं। |

## समग्र परिणाम

- ■ गरीबी उन्मूलन और गरीबी के चक्र को तोड़ने में असमर्थता
- ■ आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, और संघर्ष आदि कारकों की वजह से खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण का बना रहना और भोजन की कीमत में बढ़ोतरी
- ■ जनसँख्या के एक बड़े हिस्से का मामूली निर्णय लेने की शक्तियों के साथ अधिकार न होने की स्थिति में बना रहना और अपने जीवन में सुधार करने में असमर्थ होना
- ■ जनसँख्या के एक बड़े हिस्से के पास उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण और सूचित निर्णय लेने की क्षमता की कमी
- ■ बढ़ती असमानता का सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव
- ■ सभी मानव अधिकारों, जिसमें भोजन, विकास, यौन और प्रजनन अधिकार, शिक्षा, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य का अधिकार आदि शामिल हैं, का उल्लंघन
- ■ हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के स्तर में वृद्धि

## स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ

स्वास्थ्य गरीबी के सामाजिक निर्धारकों में से एक है। गरीबी की वजह से खराब स्वास्थ्य हो सकता है और, इसके विपरीत, खराब स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप गरीबी हो सकती है। बीमार होने का जोखिम अधिक होने के साथ-साथ, कलंक और संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कारणों की वजह से, गरीब लोगों को समय पर, और गुणवत्ता वाले उपचार को प्राप्त करने में मुश्किल होती है (कमीशन ऑन सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ (सीएसडीएच), 2008)। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव को सबसे अधिक गरीबों द्वारा महसूस किया जाता है। जन स्वास्थ्य पर व्यय में कमी, और स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण की वजह से, स्वास्थ्य पर निजी खर्च में बढ़त हुई है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए सच है जो बीमारी की अवस्था में उपचार का खर्च उठाने करने में सक्षम नहीं होतीं, जेंडर आधारित भेदभाव से ग्रस्त हैं, जिन्हें देखभाल के कार्य की वजह से समय नहीं मिलता, और समाजीकरण के कारण जिनमें आत्मसम्मान की कमी है, और इसीलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने की क्षमता कम है।

गांवों में रहने वाली गरीब महिलाओं तक आधुनिक गर्भनिरोधक की कम पहुँच होने के कई सबूत देखे जा सकते हैं क्योंकि उन्हें अनचाहे और अनेक बार गर्भधारण का अनुभव होता है। यह असुरक्षित गर्भपात का कारण भी बन सकते हैं, खासकर ऐसी जगहों में जहाँ सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँचने में बाधाएँ हों, जो कि मृत्यु या आजीवन विकलांगता का कारण भी बन सकते हैं। कम और मध्यम-आय देशों और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भनिरोधक के कम प्रचलन से यह जानकारी मिलती है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि गर्भनिरोधन का बोझ मुख्यतः महिलाओं पर ही होता है (रवींद्रन और नायर 2012)।

पोषण और खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य का एक और आयाम है। जहाँ खराब पोषण सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वहीं यह यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इनमें अन्य समस्याओं के साथ यौन समस्याएँ, यौन इच्छा की कमी, कष्टदायक संभोग, शामिल हो सकते हैं। कुपोषण, थकान और बीमारी पैदा कर सकता है और आगे चलकर एक स्वस्थ यौन जीवन व्यतीत करने में असमर्थता का कारण बन सकता है (एरो और डब्लूडीएफ 2012)।

महिलाओं द्वारा पेशेवर चिकित्सकों के साथ यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना कम होती है। 30 प्रतिशत से कम महिलाएँ अपनी यौन समस्याओं की चर्चा अपने चिकित्सक के साथ करती हैं और उनमें से केवल एक तिहाई महिलाओं द्वारा उपचार लेने की संभावना होती है। बहुत कम महिलाएँ अत्यधिक सक्रीय यौन इच्छा (हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर - एचएसडीडी) या यौन विरक्ति सम्बंधित विकार (सेक्सुअल अवरशन डिसऑर्डर) के मुद्दे को अपने चिकित्सा सेवा प्रदाता को मुख्य समस्या की तरह बताएँगी क्योंकि अधिकतर लोगों का यह सोचना है कि सेक्स की इच्छा के बारे में बात करना महिलाओं के लिए उचित नहीं है और महिलाओं में यौन इच्छा कम होना सामान्य है (हेस, आर.डी. एट ऑल. 2007, वायली, केवन एट ऑल. 2010 में एरो और डब्लूडीएफ 2012 द्वारा उद्धृत)।

गरीब लोगों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक और बाधा है उनकी अपर्याप्त रहन सहन की स्थिति। बुरी हालत के घर, सफ़ाई व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल की कमी, अन्य समस्याओं के साथ, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित मामलों का प्रबंधन करना मुश्किल बनाते हैं, जैसे, माहवारी (जिसके कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण, और प्रजनन पथ के संक्रमण हो सकते हैं), और गर्भनिरोधन के लिए बाधा प्रणाली का उपयोग (उदाहरण के लिए, महिला कंडोम और डायफ्राम) (रवींद्रन और नायर 2012)। अपर्याप्त रहन सहन की स्थिति और सीमित निजी स्थानों की कमी भी यौन आनंद पर प्रभाव डाल सकते हैं। जल्दबाजी में किए गए यौन आचरण, सुरक्षित यौन व्यवहार के लिए बहुत कम समय देते हैं, जिससे यौन संचारित रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

अपने हाश्वकृत स्थिति की वजह से, कई ट्रांसजेंडर लोग और यौनकर्मि काफ़ी बुरी स्थिति के घरों में रहते हैं और इसी कारण से स्वच्छ पेयजल और सफ़ाई व्यवस्था की कमी भी झेलते हैं। इसी तरह, बीमार पड़ने का खतरा भी इन समूहों के बीच अधिक है।

ट्रांसजेंडर लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से असाधारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ देने से मना करते हैं या उन पर रोक लगाते हैं। यह भेदभाव खासकर एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के साथ होता है। जेंडर पुनर्निर्धारण उपचार का खर्च ट्रांसजेंडर लोगों को यौन कार्य की ओर या फिर खराब गुणवत्ता वाले, सस्ते या पारंपरिक

विकल्प की तरफ़ ले जाता है (सेन्टर फ़ॉर इक्विटी स्टडीज़ एट ऑल. 2014)।

## भौतिक संसाधनों तक पहुँच में बाधाएँ

### संसाधनों तक पहुँचने का एक ज़रिया, शादी

एक आदमी और एक औरत के बीच शादी को आदर्श माना जाता है, और कई लोग शादी करने के लिए दबाव का अनुभव करते हैं। जो लोग इस आदर्श से अलग ज़िन्दगी जीते हैं, या ऐसे जो अब शादीशुदा नहीं हैं, जैसे कि एकल व्यक्ति, विधवा, और तलाक़शुदा लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह कुछ धार्मिक या पारंपरिक कार्यों में भाग लेने के रूप में हो सकता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो विषमलैंगिक विवाहित जीवन जी रहे हैं, वे समलैंगिक संबंधों में होना पसंद करेंगे पर सामाजिक कलंक के डर की वजह से अपने आकर्षण को ज़ाहिर करने में असमर्थ हैं। गरीबी और इसके नकारात्मक असर से बचने के लिए विवाह को एक साधन के रूप में भी देखा जाता है, इसका नकारात्मक असर भारत और दक्षिण एशिया भर में बाल विवाह, जल्द, और जबरन विवाह के रूप में देखा जा सकता है (एरो 2011; खन्ना, वर्मा और वाइस 2013)।

जहाँ दो लोगों के बीच सहमति से शादी एक खुशनुमा मामला हो सकता है, वहीं शादी से जुड़ी प्रथाएँ शक्तिहीन भी बना सकती हैं। भारत में विवाह एक बड़ा खर्च है जो लोगों को जीवन भर, यहाँ तक कि पीढ़ियों तक गरीबी और कर्ज़ में धकेल सकता है। लोगों के लिए अपनी संपत्ति, जैसे कि ज़मीन, घर, सोना बेचना और उसे गिरवी रखना एक आम बात है। माता-पिता दहेज इकट्ठा करने के लिए कई बलिदान दे सकते हैं। लड़कियों को अक्सर स्कूलों से निकाल लिया जाता है क्योंकि उनकी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को एक अनावश्यक खर्च माना जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शिक्षा सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, और इसकी कमी के कारण कम आत्मविश्वास, बेबसी, और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय पर बातचीत करने की क्षमता को कम करता है, जिसमें यौनिकता, स्वास्थ्य, काम, और पोषण से संबंधित निर्णय शामिल हैं। कभी-कभी, दहेज देने से बचने के लिए, माता-पिता अपनी कम उम्र बेटियों का विवाह अर्धे उम्र के व्यक्ति से कर देते हैं, जो शायद मूल्य की मांग नहीं करे,

जिसके कारण असमान शक्ति संबंधों का जन्म होता है जो उम्र के अंतर की वजह से जोड़े के बीच बनता है। यह आगे चलकर उन्हें कई तरह की जेंडर आधारित हिंसा के साथ-साथ बलात्कार, और मानव तस्करी के लिए असुरक्षित बनाता है (बंदोपाध्याय एट ऑल. 2006)।

कुछ महिलाओं को, शादी के आधार पर, ज़मीन जैसे संसाधनों तक कुछ पहुँच प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कई दक्षिण एशियाई देशों में, लड़कियाँ उत्तराधिकार से वंचित हैं। हालांकि, सह-स्वामित्व के अनिवार्य कानूनों की कमी की वजह से, शादी से ज़मीन और संपत्ति तक पहुँच निश्चित नहीं होती है (हॉकिन्स, कॉर्नवाल, और लेविन 2011)। भारतीय संपत्ति का अधिकार किसी भी जेंडर के व्यक्ति के लिए समान अधिकारों को लागू करता है। हालांकि, कई महिलाएँ अपने जन्म के परिवार और पति के परिवार के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए, अपने संपत्ति के अधिकार की मांग नहीं कर पाती हैं।

क्योंकि समलैंगिक संबंधों को कानूनी या सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है इसीलिए शादी यौन अल्पसंख्यकों के लिए गरीबी से बाहर आने का ज़रिया नहीं है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, अपनी पहचान का भेद खुल जाने के डर की वजह से कई समलैंगिक व्यक्तियों को अनचाहे विषमलैंगिक संबंधों में रहना पड़ सकता है। अगर एक जोड़ा एक साथ रहना चाहे, या एक दूसरे का उत्तराधिकार पाना चाहे तो समलैंगिक संबंधों की गैर-मान्यता, गतिशीलता के रास्ते में भी आ सकती है। परिवार की परिभाषा में कौन शामिल हैं, यह भी कई लोगों के लिए संसाधनों तक पहुँच में एक बाधा है।

### संसाधनों तक पहुँचने का एक ज़रिया, रोज़गार

कई गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। हो सकता है उनके पास औपचारिक क्षेत्रों में काम करने के लिए विशेष कौशल भी नहीं हों। इसी वजह से, ज़्यादातर गरीब और हाशिये पर रहने वाले समूह, अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहाँ उनके श्रम अधिकारों की ना के बराबर सुरक्षा होती है। अनौपचारिक क्षेत्र, विनियमित नहीं है, और बिचौलियों और एजेंटों द्वारा चलाये जाते हैं, जो इन गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को ऐसी परिस्थिति में डालता है जिसमें वे मोलतोल नहीं कर सकते। भारत में, वे बंधुआ मज़दूर

बन सकते हैं, अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्हें नियोक्ताओं के पास बिना किसी वेतन के कार्य करना पड़ सकता है (सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज़ एट ऑल. 2014)।

भारत में ट्रांसजेंडर लोगों और हिजड़ा समुदाय के लोगों को काम पाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अक्सर रोज़गार के लिए उनके पास गायन, नृत्य, और सड़क पर भीख माँगने जैसे विकल्प ही होते हैं। इस प्रकार रोज़गार के कोई स्थायी विकल्प न होने के कारण कई ट्रांसजेंडर लोगों को गरीबी में ही रहना पड़ता है। इसका प्रभाव खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर पड़ता है क्योंकि भोजन सस्ता और खराब गुणवत्ता वाला हो सकता है और केवल भूख मिटाने के लिए खाया जाता है।

महिला व पुरुष समलैंगिकों (लेस्बियन व गे लोगों) को अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए अपनी यौन पहचान को गुप्त रखना पड़ सकता है। पहचान उजागर होने व पकड़े जाने का डर, और अपने रोज़गार के तरीकों को खोने का डर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। उन्हें अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है उन्हें अपनी पसंद के क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर नहीं मिलें। यह भी हो सकता है कि उनके पास औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामाजिक तंत्र ना हो (सेक्सुअल राइट्स इनिशिएटिव 2013)।

यौनकर्मियों का समूह भी एक ऐसा समूह है जो भारतीय संदर्भ में अत्यधिक बहिष्कृत रहा है। भारत में, जहाँ यौन कर्म को आपराधिक नहीं माना जाता, वहीं सेक्स की मांग करना या वेश्यालय चलाना एक अपराध है। इस कारण से, यौन कर्मियों के काम करने की जगहों पर अक्सर छापे मारे जाते हैं, और उन्हें सड़कों पर पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, और उन्हें जेलों में समय बिताना पड़ता है जब तक उन्हें छोड़ा जा न जाए और उनकी जमानत न करवाई जाए।

एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के लिए भेदभाव की वजह से नौकरियाँ ढूँढना मुश्किल हो सकता है। अपने एचआईवी पॉज़िटिव होने का भेद खुल जाने के डर से उन्हें ऐसी नौकरियों में रहना पड़ सकता है जो उन्हें पसंद नहीं है। नौकरी के पहले अनिवार्य स्वास्थ्य की जांच और एचआईवी स्थिति के उजागर कर देने का डर, कार्यस्थल पर किए जाने वाले भेदभावपूर्ण

व्यवहार हैं।

ऐसी महिलाएँ जो घरेलू काम और देखभाल के काम में अपनी पूरी ज़िन्दगी बिताती हैं उनके पास वर्तमान या भविष्य के लिए बहुत ही कम सुरक्षा होती है। चूँकि देखभाल के काम का भुगतान नहीं किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में उसकी कोई गिनती नहीं होती है, उन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। पति या परिवार के सदस्यों पर भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और कपड़ों के लिए निर्भरता उन्हें परिवारों में एक अधीनस्थ स्थिति में डालता है। उन्हें अपने पति द्वारा अक्सर हिंसा सहनी पड़ती है और उन्हें इसे स्वीकारना भी सीखना पड़ सकता है।

एक स्थिर वेतन का काम, जो शोषक न हो, खाद्य और पोषण सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली सुनिश्चित करने, और गरीबी के चक्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। जेंडर और यौन वरीयताओं के आधार पर बहिष्करण अन्य अधिकारों के साथ-साथ लोगों के काम करने का अधिकार, भोजन, उपयुक्त और समान वेतन पाने के अधिकार पर काफ़ी हद तक बुरा असर डाल सकता है।

### **संसाधनों तक पहुँचने का एक ज़रिया, कानूनी और नागरिक अधिकार**

चूँकि कानून विषमलैंगिक पितृसत्तात्मक ढाँचों के अन्दर बनाए जाते हैं, कानून के माध्यम से नागरिक अधिकार हासिल करने में कई बाधाएँ हैं। उदाहरण के लिए, चूँकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 समलैंगिक संबंधों के अपराधीकरण के लिए अनुमति देती है, इसलिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें गे या लेस्बियन माना जाता है, उनके कई मानव अधिकारों के उल्लंघन को कानूनी तौर पर मंजूरी दी जाती है।

अपराधीकरण और नागरिकों के रूप में गैर मान्यता भी भोजन तक पहुँच को प्रभावित करता है। भारत में, कुपोषण और भूख को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले दामों पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। चावल, गेहूँ, दाल, खाना पकाने के ईंधन, और अन्य सामग्री को एक पहचान कार्ड के द्वारा खरीदा जा सकता है। यह पहचान कार्ड परिवार के मुखिया को दिया जाता है जो एक राशन कार्ड के रूप में कार्य करता है। इस तरह के कार्ड के लिए पते का प्रमाण ज़रूरी

होता है जैसे कि, बिजली का बिल या किरायेदारी के समझौते के रूप में पते का प्रमाण। चूंकि ज्यादातर ट्रांसजेंडर लोग किसी भी जगह पर अस्थायी तौर पर रहते हैं और उनके पास कोई घर नहीं होता, उनके लिए इस तरह के कार्ड प्राप्त करना और आगे सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री खरीद पाना बहुत कठिन है। कईयों के लिए, इससे बाहर निकलने का रास्ता भारी रिश्तत देना ही होता है।

एक औसत रोजगार और परिवार को खिलाने और उसकी देखभाल करने के लिए बहुत कम मौके होने की वजह से, लोग कई तरह की रणनीतियों का सहारा लेते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि उनके स्वास्थ्य या फिर खुशहाली में योगदान करे। महिलाएँ और यौन अल्पसंख्यक अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जोखिम भरे यौन संबंधों का सहारा ले सकते हैं। इन हालात में वे अपने हित के लिए कम मांग कर पाते हैं, जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल, और इस वजह से उनके लिए एचआईवी संक्रमण और हिंसा का जोखिम अधिक होता है।

### अन्य बाधाएँ : जेंडर आधारित हिंसा

हिंसा गरीबों, महिलाओं, यौन अल्पसंख्यकों, और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा कई स्तरों पर अनुभव की जाती है। समाज में उनका अधीनस्थ दर्जा उन्हें सामाजिक और संस्थागत हिंसा के उन्मुख बनाता है। हिंसा अक्सर घरों से शुरू होती है और कई गरीब महिलाएँ, ट्रांस लोग, लेस्बियन एवं गे व्यक्ति इसे अपने घरों के अन्दर अनुभव करते हैं। विषमलैंगिक नियमों को नहीं मानना उनके प्रति हिंसा का मुख्य कारण है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) की रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को लगता है कि पत्नी को मारना स्वीकार्य है। 51 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 54 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि यदि पत्नी अपने ससुराल वालों का अनादर करे, घर या बच्चों की उपेक्षा करे तो पत्नी की पिटाई जायज़ है।

इसके साथ ही, 37 प्रतिशत कभी-विवाहित रही महिलाओं ने अपने पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है और 16 प्रतिशत ने अपने पति द्वारा भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है (इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़

(आईआईपीएस), और मैक्रो इंटरनेशनल 2007)। इस तरह से जेंडर के मानदंडों का समावेशीकरण समस्या पूर्ण है और समाज के उस मूल्य प्रणाली को दर्शाता है जहाँ लड़कियों और महिलाओं के साथ सिर्फ उनके जेंडर की वजह से भेदभाव किया जाता है।

भारत की एक्सक्लूशन रिपोर्ट 2014 के अनुसार, ट्रांस लोग सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से बहिष्कृत श्रेणी में रखे गए हैं, और कई स्तरों पर हिंसा का अनुभव करते हैं। उनके लिए सार्वजनिक स्थलों पर आना जाना भी मुश्किल होता है।

उनके “अस्वाभाविक” होने का इलाज करने के नाम पर एक सुधारात्मक उपाय के रूप में गे, लेस्बियन, और ट्रांसजेंडर लोगों के साथ बलात्कार होता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है, और उन्हें विषमलैंगिक संबंधों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की घटनाएँ न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, और कई मामलों में मृत्यु या आजीवन विकलांगता पैदा कर सकती है।

मर्दानगी एक आदर्श है, जो कई पुरुषों पर जोखिम भरे यौन व्यवहार में भाग लेने के लिए दबाव डालता है, जैसे बिना कंडोम पहने सेक्स करना, जिसके उनके खुद के और उनके साथी के स्वास्थ्य पर खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह बलात्कार और हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। घरों में और युद्ध में यौन हिंसा का सामना करने के बावजूद, संसाधनों की कमी के कारण, महिलाएँ हिंसक रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाती हैं। कार्यस्थल और घर पर होने वाले कई यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले (जैसे कि वैवाहिक बलात्कार) स्वयं और परिवार के लिए शर्म महसूस करने की वजह से उजागर नहीं किए जाते। इस तरह के मामलों को न उजागर करना समाज में हिंसा को अपनी जगह बनाए रखने की अनुमति देता है। अक्सर, अदालतों में यौन हिंसा के अनुभव को साबित करने की प्रक्रिया में, व्यक्तियों की गरिमा और आत्मसंरक्षण के अधिकारों का और अधिक उल्लंघन होता है।

जब तक समाज विषमलैंगिक पित्रसत्तात्मक ढांचों के अन्दर व्यवस्थित रहेगा और ऐसे लोग जो “अलग” की श्रेणी में हैं और इस तरह के प्रामाणिक ढांचे में नहीं बैठते, उनका सामाजिक बहिष्कार होता रहेगा, तब तक गरीबी और दूसरे तरह के

भेदभाव होते रहेंगे। हम कितने भी संकेतक और कार्यक्रम बनाते रहें, लेकिन जब तक हम पूरी तरह से सभी लोगों के अधिकारों को नहीं पहचानते, लोगों को उनके शरीर पर स्वायत्तता का अधिकार नहीं मिलता, और हर तरह की भेदभाव और बाधाओं (विशेष रूप से यौनिकता से संबंधित) को दूर कर भौतिक और गैर भौतिक संसाधनों तक पहुँच नहीं बनती, इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता।

## एसआरएचआर और विकास के संवादों में यौनिकता को फिर से शामिल करना

अधिकारों की भाषा उत्पीड़ित लोगों को एकजुट करने और अपने हकों और न्याय पर दावा करने में उपयोगी रही है। अधिकारों पर आधारित ढांचा ही सभी कानूनी प्रणालियों की नींव है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन में “कुछ स्तर” पर जाँच की अनुमति देता है। यह अन्य कई मुद्दों के साथ ही जेंडर के मुद्दों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, और भोजन के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाने के लिए जगह देता है। जहाँ यौनिकता और यौन अधिकारों के मुद्दे अभी भी वाद-विवाद का विषय बने हुए हैं, दुनिया भर के अलग-अलग देशों की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर इस अधिकार को बनाए रखने के लिए सहमति जताई है, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स (1966), इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (1996), कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेस्ट वीमेन (सीडॉ) (1979), और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (1989)। इसके अलावा, सरकारों ने प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन ऑफ़ इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन पापुलेशन एंड डेवलपमेंट (आईसीपीडी पीओए 1994) और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (बीपीएफए 1995) जैसे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

मानव अधिकारों के सिद्धांतों में पात्रता के रूप में, यौन अधिकारों की अवधारणा पर चर्चा शुरू करना अपेक्षाकृत “नया” है (कोरिया में पेचस्की 2000, पेचस्की और पार्कर 2008, पृष्ठ 4)। मानव अधिकारों में सन्निहित सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता और एक दूसरे से जुड़ाव के सिद्धांतों की

वजह से ही सभी के लिए यौन अधिकारों का तर्क संभव बन पाया है। 2006 में, गाड्जा मादा विश्वविद्यालय, जोग्जोकार्ता, इंडोनेशिया में मानव अधिकारों के विशेषज्ञों के एक समूह और यौन अल्पसंख्यक सक्रियतावादियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के नतीजे के रूप में उभरे, जोग्जोकार्ता सिद्धांतों में यौन अभिविन्यास और जेंडर पहचान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुप्रयोग पर 29 सिद्धांतों का विवरण है। बैठक में इन सिद्धांतों को 25 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनाया और इस पर हस्ताक्षर किए।

यौन अधिकार उन मानव अधिकारों को समाविष्ट करते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़ और अन्य समझौता दस्तावेज़ों में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। इनमें सभी व्यक्तियों के, ज़बरदस्ती, भेदभाव और हिंसा से मुक्त, यौनिकता से सम्बंधित प्राप्त किए जा सकने वाले उच्चतम स्वास्थ्य मानदण्ड के अधिकार शामिल हैं, जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुँच शामिल है; साथ ही इसमें यौनिकता के संबंध में जानकारी की मांग करना, हासिल करना और देना; यौनिकता शिक्षा; शारीरिक अखंडता का सम्मान; अपनी पसंद का साथी चुनना; यौन रूप से सक्रिय होने या ना होने का निर्णय लेना; आपसी सहमति से यौन संबंध बनाना, आपसी सहमति से विवाह करना; निर्णय लेना कि बच्चे चाहते हैं या नहीं और कब चाहते हैं; और एक संतोषजनक सुरक्षित और सुखद यौन जीवन व्यतीत करना शामिल हैं (डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी परिभाषा 2006)।

**चूँकि मानवाधिकारों के साथ, देश के संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ यौनिक अधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता और एक दूसरे से जुड़ाव निहित है, अतः सांस्कृतिक और धार्मिक रूढ़िवाद, जो यौन अधिकारों को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, के स्थान पर यौन अधिकारों की प्रयोज्यता की अनुमति होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि सरकारें रूढ़िवादी समूहों के साथ साठ-गाँठ करने के बजाए, इन अधिकारों को बनाए रखें और लोगों को पूर्ण नागरिकता दें।**

## आगे की राह

### यौनिकता और यौन अधिकारों को 2015-पश्चात् विकास के ढांचे में शामिल करना

2015-पश्चात् सतत विकास का लक्ष्य और ढांचा आने वाले वर्षों में विकास की नीतियों, कार्यक्रमों और इसके कार्यान्वयन को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। परिवर्तनकारी विकास को सुनिश्चित करने और इसके कार्यान्वयन और निधिबंधन में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए यौनिकता, यौन अधिकार और मानव अधिकार को दस्तावेज़ में दर्ज करने की ज़रूरत है। व्यापक यौनिकता शिक्षा, गर्भपात का अधिकार, युवा लोगों के लिए गर्भनिरोधक तरीकों तक पहुँच, युवा लोगों के यौन अधिकारों सहित, यौनिकता से सम्बंधित सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को हटाना इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ का एक हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ़ समग्रता और गैर-भेदभाव जैसे शब्दों को शामिल करना पर्याप्त नहीं है, विशेषकर तब, जब जो कुछ कहा जा रहा है, कार्यवाही उसके विपरीत है। इसे बनाने की प्रक्रिया और क्रियान्वयन में महिला नागरिक समूह (वीमेन सिविल सोसाइटी ग्रुप) और एलजीबीटीआई समूहों की पूर्ण सहभागिता और मशवरा लेना बहुत ही ज़रूरी है, प्रतीकवाद और दिखावटी स्वीकृति किसी भी प्रकार का रूपांतरित और स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकते।

### सार्वजनिक सामग्री प्रदान करने में राज्य सरकार की भूमिका को पुनः प्रतिष्ठित करना

लोकतंत्र में, किसी भी सरकार की पहली जवाबदेही अपने नागरिकों की ओर है। हालांकि, आज के वैश्वीकृत अर्थव्यवस्थाओं में, हम देखते हैं कि सरकारें व्यापार संघ की ओर अधिक जवाबदेह हैं। यहाँ यह अनिवार्य हो जाता है कि बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को सार्वजनिक सामग्री देने के लिए सरकारों की भूमिका को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। यह करने के लिए, पहले से ही मौजूद साधनों, जैसे कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्मस ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वीमेन (सीडॉ) (जनरल रेकॉमेंडेशन 26), इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (आईसीइएससीआर), यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (यूडीएचआर), इंटरनेशनल

असेसमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़ॉर डेवलपमेंट (आईएएएसटीडी), इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइज़ेशन (आईएलओ) कन्वेंशन 184 (विशेष रूप से लेख 18, 186) और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्मस ऑफ़ रेशिअल डिस्क्रिमिनेशन (आईसीइआरडी) को ध्यान में रखते हुए देश की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की ज़रूरत है। सरकार की नीतियों को इन मानव अधिकारों के दस्तावेज़ों का पालन करने और सभी स्तरों पर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इन नीतियों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक उचित तंत्र की आवश्यकता है।

### विकास के तरीकों और सिद्धांतों में अलग-अलग काम करने की प्रथा को तोड़ना

हमने मानव अधिकारों को कायम रखने के लिए एकजुट हुए सामाजिक आंदोलनों की जीत देखी है। काहिरा और बीजिंग सम्मेलन कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। जैसे हम 2015-पश्चात् सतत विकास कार्यावली के माध्यम से आने वाली बहुत सी चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लोगों को सम्मिलित करना होगा और अपने मुद्दों में बदलाव और मुद्दों के परस्पर जुड़ाव को सुनिश्चित करना होगा। यहाँ कार्य-प्रणाली, और विकास निधिबंधन को व्यापक तौर पर देखने की ज़रूरत है।

अलग-अलग मुद्दे जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य,  
और अन्य अविच्छेद्य अधिकारों की लिए लड़ाई  
में हमें हमारे शरीर पर नियंत्रण, निजी उपभोग,  
स्वामित्व और संसाधनों पर नियंत्रण जैसे अपने  
अधिकारों को नहीं भूलना चाहिए, विशिष्ट तौर पर  
हाश्वकृत समुदायों - एलजीबीटीक्यू, यौन कर्मी और  
विकलांगता के साथ रह रहे लोगों - के अधिकार।

## विकास पर हो रहे अनुसंधानों को बहुविषयक बनाने की आवश्यकता

विकास कार्यों में यौनिकता को लेकर बहुत कम काम किया गया है। आंकड़ों और जानकारी की कमी की वजह से लोगों और नीति निर्माताओं के लिए सबूत के रूप में इन मुद्दों के आपस में जुड़ाव की समझ स्पष्ट नहीं है। बदले में, यह नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के पहलुओं को शामिल करने की ज़रूरत है, जिससे इस तरह के मुद्दों का बेहतर विश्लेषण किया जा सके और इसी तरह मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर नीतियों को बनाया जा सके। अनुसंधान के कार्यों में हाशिए पर रह रहे समुदायों के संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन समुदायों को आने वाले समय में और खतरे में ना डाला जाए।

## यौनिकता पर चुप्पी को तोड़ना

यौनिकता और विषमलैंगिक पित्रसत्तात्मक ढांचे की अवधारणा में ठोस सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, हमें सामुदायिक स्तर से काम शुरू करते हुए नीति निर्माताओं तक पहुँच बनाने की ज़रूरत है। जब सरकार पर नीचे से बड़े पैमाने पर दबाव पड़ता है तो उनकी प्रतिक्रिया बेहतर होती है। सिविल सोसाइटीज़ एक सतर्क संरक्षक की तरह किसी भी प्रकार के मानव अधिकार उल्लंघन से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए जगह बनाने के लिए सीमाओं के लगातार विस्तार की ज़रूरत है।

## सभी के लिए यौन अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी और संस्थागत बाधाओं को दूर करना

देशों के संविधानों में स्थापित, सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले समाज के वर्गों में जेंडर और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव करने वाली सभी कानूनी बाधाओं को दूर किया जाए। इसमें यौन कर्म को

काम के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। कानूनी बाधाएँ दूर करना केवल पहला कदम है। सरकारी कार्यालयों, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा और अन्य प्रतिष्ठापनों में अन्य संस्थागत बाधाओं को भी खत्म करने की ज़रूरत है।

सेवा प्रदाताओं और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों को बहुलवाद की अवधारणाओं और अधिकार के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। नियमित आधार पर इस तरह की पहल यौनिकता के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके सक्रियतावाद के कामों और संचार माध्यमों के ज़रिए की जा सकती है।

## यौनिकता शिक्षा पर पुनर्विचार

स्कूलों में व्यापक यौनिकता शिक्षा को बहाल करने की ज़रूरत है। इसे सभी क्षेत्रों के पाठ्यक्रम जैसे अध्यापन और शिक्षण, चिकित्सा, और इसके सहायक विषयों जैसे बायोएथिक्स, कानून, मीडिया अध्ययन, इतिहास, फिल्म निर्माण, कला, पुलिस और सुरक्षा बलों आदि में भी शामिल किया जाना चाहिए। समुदायों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें लोगों को यौनिकता से जुड़े मूल्यों और विश्वासों को जानने और नई आकृति प्रदान करने का अवसर मिले। यौनिकता शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक और ज्ञान और जानकारी प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसीलिए इसमें बिना किसी अस्पष्टता के, तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात, हाशिये पर रह रहे समुदायों को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम में मानव अधिकार और यौन अधिकार शामिल होना चाहिए। यौनिकता के मामलों पर संकोच और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में समय और पैसा का निवेश किए जाने की ज़रूरत है। यौनिकता के बारे में बात करने की पहल के द्वारा ही हम वर्ज्य, भय, कलंक, और यौनिकता के आसपास शर्म की अवधारणाओं को तोड़ सकते हैं।

हालांकि निधिबंधन को बड़े कदम उठाने के लिए एक बाधा की तरह देखा जा सकता है, ऊपर दी गई कई सिफ़ारिशें कम धन के साथ भी अमल में लायी जा सकती हैं।

## बॉक्स 2: यौनिकता पर विचार कुमार दास द्वारा

मैं कलकत्ता में एक पारंपरिक बंगाली मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और पला-बढ़ा हूँ। मैं अपने माता-पिता और बहन के साथ रहता था। मेरी माँ एक गृहिणी हैं, और क्योंकि मेरे पिता के काम के घंटे बहुत लम्बे हुआ करते थे (रविवार को छोड़कर), मैंने अपनी माँ, बहन और आंटी, जिनसे मैं विशेष रूप से जुड़ा था, के साथ अधिक समय बिताया। मेरी बहन को सौंदर्य प्रसाधनों का शौक था, मेरी बहन अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने के पहले मेरे नाखूनों पर लगाती थीं। मेरी माँ भी मुझे दूसरी कक्षा (लगभग 7 वर्ष) तक लड़कियों के कपड़े पहनाया करती थीं। अब जब मैं अपने बचपन और किशोर वर्षों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार की महिला सदस्यों द्वारा बहुत प्रभावित रहा हूँ। इससे यौनिकता के बारे में मेरे विचारों को भी आकार मिला है।

जब मैं 9वीं कक्षा में था (लगभग 14 वर्ष का), भारत में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम जिस्म था। उस फिल्म के हीरो जॉन अब्राहिम की एक बहुत ही मर्दाना छवि थी। एक दिन, मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं जॉन को बहुत पसंद करता हूँ। यह संक्षिप्त बातचीत मेरे दोस्त ने स्कूल में अन्य लोगों को बताई, और उसके बाद मुझे परेशान किया गया और चिढ़ाया गया कि मुझे जॉन अब्राहिम से प्यार हो गया है। मैं सदमे में था कि कैसे मेरा एक अबोध मत इतनी बड़ी बात बन गया, और मैंने शिक्षक से शिकायत की। शिक्षक ने भी मेरी हंसी उड़ाई और इस मुद्दे को महत्वहीन बना दिया। लज्जा और शर्मिंदगी के कारण मैं 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं गया।

स्कूल के बाद, मैंने भारत के कलकत्ता प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। मैं रोज़ मेट्रो लेता था और ट्रेन के दरवाज़े के पास खड़ा होना पसंद करता था क्योंकि सुबह के समय में ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, और इससे मुझे ट्रेन से बाहर उतरने में आसानी होती थी। एक दिन, ट्रेन में, मेरे सामने खड़े एक लगभग

25 वर्ष के पुरुष ने मेरे निजी अंगों को छूने की कोशिश की। चूँकि कम्पार्टमेंट पूरी तरह भरा हुआ था, मेरे पास वहाँ से हटने के लिए कोई स्थान नहीं था। पहली प्रतिक्रिया के रूप में मुझे आश्चर्य और अरुचि का अनुभव हुआ पर बाद में मुझे आनंद महसूस हुआ। जब मैंने यह वाक्या अपने एक दोस्त को बताया तो मुझे बातें सुननी पड़ी कि एक पुरुष होते हुए भी मैं कैसे किसी और पुरुष के स्पर्श का मज़ा ले सकता हूँ।

मेरे जान-पहचान के बहुत से अन्य पुरुषों की तरह मेरा पहला यौन अनुभव भी एक यौन कर्म के साथ रहा। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि किस तरह से मैंने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। एक बार फिर मैंने निंदा की उम्मीद नहीं की थी और मैं उनके द्वारा यौन कर्मियों के लिए उपयोग की जाने वाली अभद्र भाषा और हर एक शब्द में आक्रामकता और हिंसा के इस्तेमाल से दंग रह गया।

इन अनुभवों ने मुझे मेरी अपनी बेबसी पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी शिक्षा के बावजूद, मैं यौनिकता की प्रमुख धारणा का विरोध करने में असमर्थ था। मेरे पास उचित संसाधनों की कमी भी थी यह कहने के लिए कि “एक अलग तरह की यौन इच्छा का अनुभव करना जो समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों में ठीक नहीं बैठती, ठीक है”। इस तरह के शर्म और बहिष्करण के अनुभव के बाद मैं बस कल्पना ही कर सकता हूँ कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को उनके यौन अभिविव्यन्ध और जेंडर पहचान, गरीबी की वजह से और या बस अलग या अधीनस्थ होने की वजह से किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम सभी प्यार करने, प्यार और देखभाल पाने और हम जो हैं उसे स्वीकार किए जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या वास्तव में यह मायने रखता है कि हमारा सेक्स या जेंडर पहचान क्या है?

## निष्कर्ष

इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग दुनिया भर में समान विचारधारा वाले समूहों और व्यक्तियों से जुड़ पाए हैं। यह लोगों को एकजुट करने का एक स्रोत रहा है, इसके ज़रिए बिना किसी सजा या कलंक के संवाद को शुरू करने के लिए जगह बनी है। इससे यौनिकता और यौन अधिकारों के आसपास चुप्पी तोड़ने में काफी हद तक मदद मिली है।

हाल के वर्षों में, भारत में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े आन्दोलनों में से एक देखा गया है। इस कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर लामबंदी ने भारतीय उच्च न्यायालय को 2006 में इसे आपराधिक नहीं मानने और यौन अल्पसंख्यकों के हक में इसे हटाने के लिए मजबूर किया है। इसे आन्दोलन की एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया था। हालाँकि उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, यह उन लोगों को लिए जो इस कानून को हटाने के पक्ष में थे बहुत बड़ी निराशा का कारण था, यह सामाजिक न्याय की दिशा में सीमाओं का विस्तार करने और बदलाव लाने की प्रक्रिया और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आशा की एक किरण लाया था।

अप्रैल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय खुद की पहचान “तीसरे जेंडर”, की तरह कर सकता है, और कहा कि उन्हें पूर्ण नागरिकता का अधिकार और शैक्षिक संस्थानों, रोज़गार के अवसर, और सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में पहुँच दी जाएगी। यह वास्तव में ट्रांस लोगों के अधिकारों की पुष्टि की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी के लिए भी जगह बनाता है और हम सिर्फ़ उम्मीद कर सकते हैं कि यह सभी के यौन अधिकारों को पहचानने के लिए एक लहर पैदा करेगा।

यौनिकता, गरीबी, और खाद्य सुरक्षा अपने आप में जटिल क्षेत्र रहे हैं। बहिष्करण और गरीबी और खाद्य असुरक्षा पारस्परिक रूप से एक दूसरे को मज़बूत कर रहे हैं। इस पेपर में यह ध्यान देने की कोशिश की गई है कि कैसे यौनिकता के आधार पर बहिष्कार

और गरीबी और खाद्य असुरक्षा पैदा हो सकती है और स्थापित हो सकती है। ऐसे कई मार्ग हैं जिनसे इन तीन अवधारणाओं का परस्पर जुड़ाव देखा जा सकता है और यहाँ हम केवल कुछ की ही चर्चा कर पाए हैं। वास्तविकताओं को समझे बिना गरीबी और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को हल करना असंभव है। यौनिकता मनुष्य का एक अभिन्न अंग है, इसे गरीबी और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से अलग नहीं किया जा सकता।

इस पेपर में विभिन्न तरीकों से किए जाने वाले भेदभाव को उजागर करने का प्रयास किया गया है जो लोगों को अपनी अलग जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास के कारण झेलना पड़ता है और जो वर्षों से किए गए विकास की प्रगति का पुनः पतन कर देता है या प्रगति को रोक देता है।

नियंत्रण और भय समाज को व्यवस्थित करने के लिए सबसे अच्छे तरीके नहीं हैं। यह केवल असुरक्षा, असंतोष और दुख की ओर ले जाता है। यौनिकता के प्रति स्वीकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल शांति, अहिंसा, सुख, संतोष, निर्भयता, और सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा बल्कि सही मायनो में खुशहाली, हित और मानव प्रगति में योगदान करेगा।

## REFERENCES

- Ando, M.M. (2009). Definitions. *ARROWs for Change*, 15(2 & 3):19.  
Retrieved from [http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-Vol.15-No.2-2009\\_ICPD-15.pdf](http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-Vol.15-No.2-2009_ICPD-15.pdf)
- ARROW. (2011). *Reclaiming & redefining rights: Thematic studies series 1: Sexuality & rights in Asia*. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW). Retrieved from [http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/Reclaiming-Redefining-Rights\\_-\\_Thematic-Study\\_Sexuality-and-Rights-in-Asia\\_2012.pdf](http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/Reclaiming-Redefining-Rights_-_Thematic-Study_Sexuality-and-Rights-in-Asia_2012.pdf)
- ARROW & World Diabetes Foundation (WDF). (2012). *Diabetes: A missing link to achieving sexual and reproductive health in Asia-Pacific region*. Kuala Lumpur: Kuala Lumpur & Copenhagen: ARROW & World Diabetes Foundation. Retrieved from [http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/Diabetes-and-SRHR\\_Position-Paper\\_2012.pdf](http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/Diabetes-and-SRHR_Position-Paper_2012.pdf)
- Asian Development Bank. (2012). *Food security and poverty in Asia and the Pacific: Key challenges and policy issues*. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank (ADB). Retrieved <https://www.adb.org/publications/food-security-and-poverty-asia-and-pacific-key-challenges-and-policy-issues>
- Asian Development Bank. (2013). *Gender equality and food security: Women's empowerment as a tool against hunger*. Manila: ADB. Retrieved from <http://www.fao.org/wairdocs/ar259e/ar259e.pdf>
- Bhattacharyya, S. (Ed.). (2013). *Two decades of market reform in India: Some dissenting views*. London, GBR: Anthem Press.
- Bandyopadhyay, N. et al. (2006). Streetwalkers show the way: Reframing the debate on trafficking from sex workers' perspective. *IDS Bulletin*, 37(4):102-109. Brighton: Institute of Development Studies.
- Centre for Equity Studies et al. (2014). *India exclusion report 2013-2014: A comprehensive, annually updated analysis on the exclusion of disadvantaged groups in India*. Bangalore: Books for Change. Retrieved from [www.indianet.nl/pdf/IndiaExclusionReport2013-2014.pdf](http://www.indianet.nl/pdf/IndiaExclusionReport2013-2014.pdf)
- Chandiramani, R. Why affirm sexuality? *ARROWs for Change*, 13(2):1-2. Retrieved from [http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-No.13-No.2-2007\\_Affirmative-Sexuality.pdf](http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-No.13-No.2-2007_Affirmative-Sexuality.pdf)
- Claeys, P. (2013). *From food sovereignty to peasants' rights: An overview of La Via Campesina's rights based claims over the last 20 years. Paper No. 24 for discussion at "Food sovereignty: A critical dialogue," International Conference, September, 2013. Yale, USA: Program in Agrarian Studies, Yale University*. Retrieved from <https://viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/EN-02.pdf>
- Commission on Social Determinants of Health (CSDH). (2008). *Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health: Final report of the Commission on Social Determinants of Health*. Geneva: World Health Organisation. Retrieved from [http://www.who.int/social\\_determinants/final\\_report/csdh\\_finalreport\\_2008.pdf](http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf)
- Cornwall, A. & Jolly, S. (2006). Sexuality matters: Introduction. *IDS Bulletin*, 37(4):1-11. Brighton: Institute of Development Studies.
- Cornwall, A., Correa, S. & Jolly, S. (2008). *Development with a body: Sexuality, human rights and development*. London: Zed Books.
- Correa, S. Petchesky, R. & Parker, R. (2008). *Sexuality, health and human rights*. Sexuality, culture and health series. Oxon and New York: Routledge.
- Das, A. (2014). Sexuality education in India: Examining the rhetoric, rethinking the future. *Sex Education*, 14 (2): 210-224. Taylor and Francis.
- Food and Agriculture Organisation (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) and World Food Programme (WFP). (2014). *The state of food insecurity in the world 2014: Strengthening the enabling environment for food security and nutrition*. Rome, FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf>
- Food and Agriculture Organisation (FAO). (2006). *Food security*. Policy brief. Rome, Italy: FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA) with support from the FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) and the EC-FAO Food Security Programme. Retrieved from <http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe83of46b3.pdf>
- Food and Agriculture Organisation (FAO). (2014). *The state of food and agriculture: Innovation in family farming*. Rome: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf>
- Gosine, A. (2005) *Sex for pleasure, rights to participation, and alternatives to AIDS: Placing sexual minorities and/or dissidents in development*. IDS Working Paper 228. Brighton: IDS. Retrieved from <https://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp228.pdf>
- Government of India. (2011). Census of India 2011. Retrieved from <http://www.censusindia.gov.in/>
- Hawkins, K., Cornwall, A., & Lewin, T. (2011). *Sexuality and empowerment: An intimate connection*. Pathways of women's empowerment: Pathways policy paper. Brighton: Pathways of Women's Empowerment RPC. Retrieved from <http://www.ids.ac.uk/publication/sexuality-and-empowerment-an-intimate-connection>
- Hayes, R.D. et al. (2007). Relationship between hypoactive sexual desire disorder and aging. *Fertile Steril*, 87 : 107-12. In Wylie, Kevan et al. (2010). Androgens, health and sexuality in women and men. *Maturitas*, 67: 275-289.
- International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2013). *Global hunger index: The challenge of hunger; Building resilience to achieve food and nutrition security*. Bonn, Washington DC & Dublin: IFPRI, Concern Worldwide and Welthungerhilfe. Retrieved from <http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi13.pdf>
- International Institute for Population Sciences (IIPS) and Macro International. (2007). *National Family Health Survey (NFHS-3), 2005-06: India: Volume I & II*. Mumbai: IIPS. Retrieved from <http://rchiips.org/nfhs/report.shtml>

- Institute of Development Studies (IDS). (2014). *Gender and food security: Towards gender-just food and nutrition security; Overview report*. Brighton, UK: Bridge Cutting Edge Programme, IDS.
- Jejeebhoy, S. and Santhya K. G. (2011). *Sexual and reproductive health of young people in India: A review of laws, policies and programmes*. New Delhi: Population Council.
- Jolly, S. (2010). *Poverty and sexuality: What are the connections? Overview and literature review. September 2010*. Swedish International Development Agency. Retrieved from <http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20study%20of%20poverty%20and%20sexuality.pdf>
- Khanna, T., Verma, R. & Weiss, E. (2013). *Child marriage in South Asia: Realities, responses and the way forward*. Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW). Retrieved from [https://www.icrw.org/files/publications/Child\\_marriage\\_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf](https://www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf)
- Open Working Group. (2014). Proposal for Sustainable Development Goals. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf>
- Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). (2010). *Multidimensional Poverty Index 2010*. Retrieved from [http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/MPI\\_One\\_Page\\_final\\_updated.pdf?0a8fd7](http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/MPI_One_Page_final_updated.pdf?0a8fd7)
- Ravindran, T.K.S. (2014). *What it takes: Addressing poverty and achieving food sovereignty, and universal access to sexual and reproductive healthcare services*. Bridging the divide: Thematic paper series on linking gender, poverty eradication, food sovereignty and security, and sexual and reproductive health and rights. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). Retrieved from [http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-Vol.20-No.1-2014\\_Food-Security.pdf](http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-Vol.20-No.1-2014_Food-Security.pdf)
- Ravindran, T.K.S. & Nair M.R. (2012). Poverty and its impact on sexual and reproductive health and rights of women and young people in the Asia-Pacific Region. In *Action for sexual and reproductive health and rights: Strategies for the Asia-Pacific beyond ICPD and the MDGs*. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). Retrieved from [http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2012/12/Beyond-ICPD-and-the-MDGs\\_Thematic-Paper\\_2012-1.pdf](http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2012/12/Beyond-ICPD-and-the-MDGs_Thematic-Paper_2012-1.pdf)
- Representative of feminist and women's organisations and organisations. (2015). *Nothing about us without us! Statement on the Commission of the Status of Women (CSW) Methods of Work Resolution*. Retrieved from <https://iwhc.org/resources/nothing-about-us-without-us-statement-on-the-commission-on-the-status-of-women-methods-of-work-resolution/>
- Sexual Rights Initiative. (2013). *Human rights and sexuality in the context of development*. Paper prepared for the ICPD Beyond 2014 International Conference on Human Rights, 7-10 July 2013 in The Hague, Netherlands.
- The Yogyakarta Principles. (2007). The Yogyakarta Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity. Retrieved from [http://yogyakartaprinciples.org/principles\\_en.pdf](http://yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf)
- Times of India. (2015). Ninety three farmers committed suicide in 45 days in Marathwada region. Retrieved from <http://timesofindia.indiatimes.com/india/93-farmers-committed-suicide-in-45-days-in-Marathwada-region/articleshow/46293718.cms>
- World Bank. (2001). *World development report 2000/2001: Attacking poverty*. New York: Oxford University Press. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11856>
- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1999). General comment no. 12: The right to adequate food (Article 11 of the Covenant). Retrieved from <http://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2014). *Human development report 2014: Sustaining human progress; Reducing vulnerabilities and building resilience*. New York: UNDP. Retrieved from <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-English.pdf>
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Asian Development Bank (ADB) & United Nations Development Programme (UNDP). (2013). *Asia-Pacific Regional MDGs Report 2012/13: Asia-Pacific aspirations; Perspectives for a post-2015 development agenda*. Bangkok: UNESCAP, ADB, & UNDP. Retrieved from <http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/mdg/RBAP-RMDG-Report-2012-2013.pdf>
- United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. Retrieved from <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx>
- United Nations. (2014). *The Millenium Development Goals report 2014*. Retrieved from <http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf>
- World Health Organization. (2006). *Sexual and reproductive health: Defining sexual health*. [http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual\\_health/sh\\_definitions/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/)

तारशी द्वारा अनुवादित एरो के इस थीमैटिक पेपर का मूल प्रकाशन 2015 में अंग्रेजी में *सेक्शुएलिटी : क्रिटिकल टू एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड फ़ूड इनसिक्योरिटी* के रूप में किया गया था।



**तारशी (टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ इशूज़)**  
एक पंजीकृत संस्था है जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। हम यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर काम करते हैं। यौनिकता के मुद्दों पर हम व्यापक और सकारात्मक, अधिकार आधारित नज़रिए से काम करते हैं और उसे सिर्फ़ बीमारी की रोकथाम या महिलाओं एवं यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ हिंसा की रूपरेखा तक ही सीमित नहीं रखते। तारशी में हम प्रसार, ज्ञान और परिप्रेक्ष्य निर्माण के माध्यम से लोगों का उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण और साधन एवं उनके समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हम मानव अधिकारों की रूपरेखा के अंतर्गत उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं।

**तारशी (टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ इशूज़)**

सी-29 बेसमेंट, ईस्ट ऑफ़ कैलाश  
110065 नई दिल्ली, इंडिया

फ़ोन (91) 11 2632 4023/24/25

ईमेल [tarshi@vsnl.com](mailto:tarshi@vsnl.com)

वेब [www.tarshi.net](http://www.tarshi.net)

फ़ेसबुक [www.facebook.com/tarshi.ngo](https://www.facebook.com/tarshi.ngo)

ट्विटर [@tarshingo](https://twitter.com/tarshingo)

यूट्यूब [www.youtube.com/user/TARSHIdelhi](https://www.youtube.com/user/TARSHIdelhi)

एरो कुआला लंपुर, मलेशिया में स्थित महिलाओं की एक मंडलीय गैर लाभकारी एनजीओ है और इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। 1993 में स्थापित, एरो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जो समान, न्यायसंगत और उचित हो, जहाँ हर महिला को अपना पूरा यौन और प्रजनन अधिकार प्राप्त हो। एरो महिलाओं के अधिकारों और ज़रूरतों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और यौनिकता के क्षेत्र में, और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए महिलाओं की एजेंसी की पुनः पुष्टि करती है।

### एशियन-पेसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन (एरो)

1 और 2 जालन स्कॉट, ब्रिकफील्ड  
50470 कुआला लंपुर, मलेशिया

फोन नंबर (603) 2273 9913/9914

फैक्स (603) 2273 9916

ईमेल [arrow@arrow.org.my](mailto:arrow@arrow.org.my)

वेब [www.arrow.org.my](http://www.arrow.org.my)

फेसबुक <https://www.facebook.com/ARROW.Women>

ट्विटर @ARROW\_Women

यूट्यूब ARROWomen

इस पेपर का अंग्रेजी संस्करण डेविड और लुसिल पकार्ड फ़ाउन्डेशन के सहयोग से प्रकाशित किया गया है

इसके हिंदी संस्करण का प्रकाशन फ़ाउन्डेशन फ़ॉर जस्ट सोसाइटी के सहयोग से किया गया है

एरो को इन संस्थाओं से मूल अनुदान/संस्थागत समर्थन प्राप्त है:  
फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन और



Sida



the David & Lucile Packard  
FOUNDATION



ISBN 978-967-0339-26-9



9 789670 339269 >